कुरुक्षेत्र

नवम्बर 1984

मूल्य : 1.50 रु०

संपादकीय

सुधरी तकनीक व उन्नत जीवन स्तर

आज गांवों के व्यवसायों और काम-धन्धों में बेहतर टैक्नालाजी के उपयोग द्वारा आम ग्रामीण के जीवन-स्तर में सुधार लाने के बारे में जो चर्चा है वह अद्वितीय है। कदाचित भारतीय इतिहास के किसी युग में ग्रामोत्थान पर इतना बल नहीं दिया गया जितना आज दिया जा रहा है। अभूतपूर्व परिमाण में वित्त, ग्रामोत्थान के लिए सरकार द्वारा आवंटित किया जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन के आरम्भ से ही राष्ट्रीय नेताओं ने गांवों के विकास पर विशेष बल दिया। स्वतन्त्रता के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ग्रामीण विकास बड़े स्तर पर बराबर जारी रखने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अधीन सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु विकास खण्डों का एक जाल बिछाया गया। इनमें सामाजिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, निर्माण और स्वास्थ्य आदि से सम्बद्ध, विकास खण्ड स्तरीय विस्तार अथवा विकास अधिकारी नियुक्त किए गए जो आज भी कार्यरत हैं। विकास खण्डों में कार्य पहले साधारण चरण से शुरू होते फिर कुछ वर्ष बाद उनको आवंटित धनराशि को बढ़ाकर बहुत जोर शोर से विकास कार्य चलाए जाते। विकास खण्ड के इस चरण को सघन अवस्था का नाम दिया जाता था। विकास की इस सघनता और प्रचुरता के बाद विकास खण्ड का सामान्य चरण में प्रविष्ट होना अवश्यम्भावी है क्योंकि जब जोर शोर से विकास करने के बाद विकास में अपेक्षाकृत पूर्णता आ गई तो अब इस पूर्णता को बनाए रखने और जो कुछ परिष्करण और सुधार की आगे आने वाले समयानुसार आवश्यकता पड़े उसे अपना लेने की ही बात शेष रहती है। तकाजा समय का यह था कि विकास खण्ड के सामान्य (तीसरे) चरण में प्रवेश करने के बाद विकास खण्ड के सब ग्रामीणों के दुख दूर हो जाने चाहिए थे। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इस प्रश्न पर विचार कम से कम सरकारी स्तर पर, केन्द्रीय स्तर पर प्रमुख रूप से हुआ। फलस्वरूप 19 अगस्त, 1979 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार केन्द्र में अलग से एक ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किया गया। 23 जनवरी, 1982 से मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दे दिया गया और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ओर भी अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। राज्यों के भी अपने, अलग-अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय या विभाग हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बद्ध अनेक संस्थाएं और कार्यक्रम गांववासियों को सुधरी और सुघड़ प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कर उसके उपयोग द्वारा उनका जीवन स्तर सुधारने और उन्नत करने की दिशा में कार्यरत हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से सम्बद्ध राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा इससे सम्बद्ध निकाय, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे हुए कार्यकर्ताओं के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद्, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन का कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण युवकों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। इसके साथ-साथ पूर्णतया विकसित और स्थायी विस्तार सेवा तथा प्रचार प्रसार तंत्र देश भर में उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय और कृषि संस्थान तथा कालेज व अनेक स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाएं भी इस उद्देश्य के लिए कार्यरत हैं। इतना सब होते हुए भी आज के समय गांवों में व्यापक रूप से उन्नति नहीं हो पाई है। जो हुई है वह भी देश के काफी कम क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गई है। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी अनेक पक्षों में से चन्द प्रत्यक्षतः अतिसामान्य किन्तु प्रभावतः अतिमहत्वपूर्ण पक्ष विचारणीय हैं।

कम्पोस्ट खाद का उपज के लिए बहुत महत्व है लेकिन आज भी अधिकांश गांवों में जहां-तहां बिना गड्ढे या अपर्याप्त गहराई के गड्ढों में गोबर और कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। इससे वातावरण भी दूषित होता है और खाद की उर्वरा शक्ति भी बेहद कम हो जाती है। यहां तक कि राजधानी, दिल्ली के गांवों का भी बुरा हाल है। गांवों के बाहर जाने वाले अनेक रास्तों पर गोबर-कूड़े के ढ़ेर खुले में लगे रहते हैं। वर्षा ऋतु में कुछ और भी अधिक। दिल्ली शहर का कूड़ा-करचा जगह-जगह प्रायः कूड़ेदानों के बाहर ही पड़ा रहता है और वातावरण दूषित करता है। पेड़-पौधों के पत्ते कहीं जगह-जगह ढेरियों में पड़े रहते और कहीं ये ढेरियां जलाए जाने के कारण शहर की स्वच्छता को किरकरी करते हैं। यदि इनका कम्पोस्ट खाद या बायोगैस बनाने में उपयोग किया जा सके तो दोहरा लाभ हो। शहर एकदम साफ-सुथरा रहे और गांवों के लिए कम्पोस्ट खाद तथा ऊर्जा पूर्ति में पर्याप्त योग मिले।

(शेष पृष्ठ 31 पर)

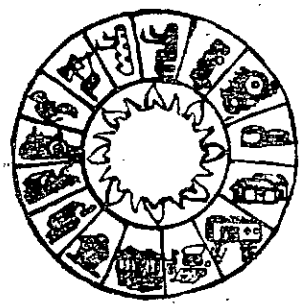

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 30 कार्तिक--अग्रहायण 1906 अंक 1

इस अंक में पृष्ठ संख्या

ग्रामीण विकास के लिए फसल एवं दूध उत्पादन की समन्वित परियोजना 2
राम प्रसाद आल्हा एवं डा० महीपाल सिंह

20-सूत्री कार्यक्रम की प्रभावी कार्यान्विति 4
के० के० रन्धर

स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम **किशन रतनानी** 5

जन-जागृति का संवाहक : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 7
जे० सी० लोहनी

अतिरिक्त आय का साधन – रेशम उत्पादन 8
शिव प्रसाद भारती

बुन्देलखण्ड में लघु सिंचाई कार्यक्रम की प्रगति--एक रपट 10
वेद प्रकाश गुप्त

मेरा गांव **सुरेश विमल** 12

मध्य प्रदेश में भूमि सुधार की दिशाएं **केदारनाथ गुप्त** 13

कितनों के आंसू पोंछे कितनों के जीवन में उल्लास भरा 15
प्रभात कुमार सिंघल

वीरशाहपुर की वीरता भी जानें 19
सूर्यकांत त्रिपाठी

बंधुआ-मुक्ति – एक सर्वेक्षण **कु० सीता शर्मा** 20

सहकारिता से क्या संभव नहीं **अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार** 24

खुशहाली की डगर पर बढ़ा गांव गुड़ली **अशोक कुमार यादव** 26

विकास प्रेमी "वपावर" **रामस्वरूप जोशी** 28

चाय – कितना विष, कितना अमृत **ललन कुमार प्रसाद** 29

नया सवेरा (कहानी) **विनय कुमार मालवीय** 30

केन्द्र के समाचार 32

बच्चों को "कुपोषण" से बचाइए आवरण पृष्ठ 3

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
आर० एस० मुंजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : आर० सारंगन

ग्रामीण विकास के लिए

फसल एवं दूध उत्पादन की समन्वित परियोजना

राम प्रसाद आल्हा एवं डा० महीपाल सिंह

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ने ग्राम विकास के लिए 32 गांवों में एक लाभदायक परियोजना चला रखी है । यह परियोजना 5 जून, 1975 को डा० राम किशोर पटेल की देख-रेख में आरम्भ की गई थी । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य डेरी तथा फसल सम्बन्धी नई-नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना है ताकि फसल तथा दूध उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ उनकी आमदनी तथा रोजगार के अवसर बढ़ सकें ।

परियोजना के सभी 32 गांवों को चार खण्डों में विभाजित कर रखा है । इस प्रकार प्रत्येक खण्ड में 7 से 10 गांव आते हैं । प्रत्येक खण्ड का मुख्य कार्यालय क्रमशः संगोहा, शामगढ़, समोरा तथा कैलाश गांव हैं । आरम्भ में इस परियोजना में कुछ गांव लेकर ही डेरी तथा फसल उत्पादन के सुधार के लिए कार्य शुरू किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में इतनी लाभदायक एवं लोकप्रिय हो गई कि इसके द्वारा अपनाए हुए गांवों के अलावा पास-पड़ोस की अन्य ग्राम पंचायतों से भी निवेदन आने लगे, इस प्रकार यह परियोजना धीरे-धीरे 9 गांवों से अब 32 गांवों में कार्य कर रही है । यह परियोजना मुख्यतः फसल तथा डेरी सुधार के कार्यों में कार्यरत है । इस परियोजना का मुख्यालय संगोहा ग्राम है जो कि करनाल से 15 किलोमीटर दूर स्थित है । यह परियोजना साथ-साथ ऐसे कार्य संगठित तरीके से चला रही है जिससे फसल सुधार, डेरी सुधार हेतु बीज तथा खाद समय से डेरी विकास केन्द्रों पर किसानों के लाभ के लिए पहुंचाए जा सकें । इसके खण्डों के मुख्यालयों पर एक-एक फसल विशेषज्ञ कार्यरत हैं जो पूरे खण्ड 7-10 गांवों की फसल प्रदर्शन संबंधी तथा अन्य जानकारी किसानों को देते हैं । इस परियोजना द्वारा कोई भी गांव अपनाए जाने से पहले कुछ मुख्य शर्तें ग्राम पंचायत के सामने रखी जाती हैं जैसे गांवों में घटिया देशी नसल के सांडों को बधिया करवाना या उन्हें गोशाला में पहुंचा देना ।

ग्राम पंचायत द्वारा ही गांव डेरी विकास केन्द्र के लिए भवन की सुव्यवस्था अपने खर्चे पर करवाता है । परियोजना द्वारा ग्राम विकास हेतु चलाए गए सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय लोग ही काम पर लगाए जाते हैं ।

डेरी विकास कार्यक्रम

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के सभी गांवों में डेरी विकास केन्द्र खोले गए हैं । प्रत्येक केन्द्र पर राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की तरफ से एक-एक स्टाक मैन की नियुक्ति की गई है । इनका मुख्य कार्य कृत्रिम गर्भादान द्वारा गांवों में पशु नसल सुधार करना है । विशेषतौर पर गायों की नसल सुधार हेतु होलस्टिन फ्रिजियन के सांड के वीर्य द्वारा देशी गायों में कृत्रिम गर्भादान किया जाता है ताकि इनसे होने वाली सन्तान (बछड़ी) से अधिक से अधिक दूध प्राप्त किया जा सके । भैंस की नसल सुधार के लिए मुही नसल के सांड का वीर्य कृत्रिम गर्भादान के लिए प्रयोग में लाया जाता है । यह उन्नत नसल का वीर्य राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की कृत्रिम गर्भादान प्रयोगशाला से ही इन डेरी विकास केन्द्रों को ताजा या जमा हुआ उपलब्ध कराया जाता है । सभी प्रकार के पशुओं की बीमारियों का इलाज भी डेरी विकास केन्द्र पर होता है जैसे नाजुक घड़ी में पशु को किसान के घर जाकर ही चिकित्सा देना, संकर नसलों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सभी संकर पशुओं का मुफ्त इलाज करना तथा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की छूत की बीमारियों के टीके गांव के सभी पशुओं को डेरी विकास केन्द्र द्वारा लगाया जाना । इसके अतिरिक्त परियोजना के वैज्ञानिकों तथा पशु चिकित्सकों द्वारा समय-समय पर गांवों में डेरी विकास केन्द्र पर पशुओं की प्रजनन से संबंधित बीमारियों, गर्भादान परीक्षण, अन्य प्रकार के सरनेल आपरेशन तथा विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए कैम्प लगाए जाते हैं । पशुओं की प्रजनन से संबंधित बीमारियों का मुख्य इलाज किया जाता है तथा गर्भ-परीक्षण के बारे में किसानों को पशु स्थान पर बता दिया जाता है जिससे वे अपने पशु की देखभाल ठीक प्रकार से कर सकें ।

इसके अलावा समय-समय पर पशुओं के सही रख-रखाव के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी डेरी विकास केन्द्र के द्वारा किसानों को दी जाती है । इस प्रकार सभी ग्रामीण अपनी देसी तथा अन्य नसलों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अधिक दूध देने वाली संकर नसल प्राप्त कर रहे हैं ।

फसल सुधार

फसल सुधार के लिए फसल विशेषज्ञ प्रत्येक खण्ड के मुख्यालय पर नियुक्त हैं जो परियोजना के सस्य वैज्ञानिक की देख-रेख में कार्य करते हैं और समय-समय पर तकनीकी सहायता प्राप्त करते रहते हैं तथा नई-नई तकनीकियों को समय-समय पर किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यही नहीं समय-समय पर उन्नत किस्म के फसलों के बीज किसानों को समय पर तथा कम कीमत पर डेरी विकास केन्द्र से उपलब्ध कराते हैं। ये विभिन्न फसलों के उन्नत बीज विभिन्न कृषि संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों से खरीद कर उपलब्ध करवाये जाते हैं जैसे:— चारे के लिए बरसीम, रिजका, जई, मक्का, लोबिया, ज्वार, सरसों इत्यादि। अनाज-दाल की फसल:— गेहूं, धान, मक्का अरहर, मूंग, उड़द आदि।

इसके अलावा बीज उपचार यंत्र तथा सभी किसानों के लिए लगभग दो एकड़ बीज बोने के लिए बीज उपचार मुफ्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही साथ जो किसान ज्यादा गेहूं उगाने के लिए अधिक बीज का उपचार करना चाहते हैं, उन्हें बीज उपचार यंत्र की सुविधा मुफ्त प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार की फसलों की अधिक पैदावार लेने की तकनीकी जानकारी भी दी जाती है। यही नहीं विभिन्न प्रकार की कीटनाशक, फफूंदी, व खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग अपनी देख-रेख में करवाकर छोटे तथा सीमान्त किसानों के खेतों पर फसल प्रदर्शन किये जाते हैं जिससे किसान वैज्ञानिक तरीके अपनाकर अपने खेतों पर अधिक से अधिक पैदावार ले सकें।

प्रसार कार्य

प्रेरणा के अन्तर्गत समय-समय पर किसानों को फसल तथा डेरी सम्बन्धी जानकारी गांवों में ही नियमित रूप से दी जाती है। इसके लिए सब प्रसार कार्यक्रम परियोजना के प्रसार वैज्ञानिक की देखरेख में चलता है। इसके लिए विभिन्न मौसमों में किसानों से समूह वार्तालाप गांवों में ही की जाती है। उक्त मौसम में उगाई जानें वाली फसलों की तकनीकी जानकारी तथा पशुओं की, खिलाई, उनकी देखभाल तथा विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए संस्था तथा परियोजना के वैज्ञानिक गांवों में जाकर किसानों से वार्तालाप करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसल प्रदर्शन पर समय-समय पर किसान वैज्ञानिक वार्तालाप करते हैं विभिन्न फसलों के उगाने से पहले जैसे:— गेहूं, धान। वैज्ञानिक गांवों में जाकर किसानों को एक दिन का लघु प्रशिक्षण डेरी विकास केन्द्र पर ही देते हैं। इसके अलावा इच्छुक किसानों को एक हफ्ते का प्रशिक्षण वैज्ञानिक तरीके से डेरी व्यवसाय, मछली पालन, तथा मधुमक्खी पालन में कृषि विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान द्वारा दिलाते हैं। इस प्रशिक्षण काल में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा खाने पीने, ठहरने की व्यवस्था मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।

ग्राम वासियों को प्रोत्साहन देने के लिए संकर पशुओं की प्रदर्शनी लगाना, अच्छे पशु-पालकों को पुरस्कृत करना भी कार्यक्रम में सम्मिलित है। यही नहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए गांवों में डेरी विकास केन्द्रों पर या उपयुक्त सामलात भवन में एक सप्ताह से दो महिनों तक के महिला प्रशिक्षण कार्य-क्रम चलाए जाते हैं। जिनमें ग्रामीण महि-लाओं को संस्थान की महिला तकनीशियनों द्वारा प्रशिक्षण-व्यवस्था है जैसे:—सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दूध से बनी मिठाइयां तथा फल-सब्जियों से अचार, मुरब्बे बनाना, शाक-वाटिका में सब्जियां लगाना तथा घर में साज-सज्जा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध की सुरक्षा, घर में पशुओं की देखभाल आदि के बारे में जानकारी दी जाती है तथा प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रौढ़ों को साक्षर भी बनाया जाता है। प्रशिक्षण काल में ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में संस्थान द्वारा संचालित अनेकों कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से लाभकारी ज्ञान से अवगत कराया जाता है जैसे :— मशीनों द्वारा दूध निकालना, प्रयोगात्मक डेरी विभाग में विभिन्न प्रकार के मशीनों द्वारा बने पदार्थों का दिखाना तथा उन्हें बनाने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना। पशुशाला में विद्यमान विभिन्न नसलों के गाय, भैंस, बकरी, सांड, खरगोश इत्यादि के रख-रखाव के भी इन्हें अवगत करवाते हैं।

इस परियोजना के चालू करने से निराश व बेरोजगार लोगों के जीवन में खुशहाली का संचार हुआ है।

राम प्रसाद ओल्हा
536, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
करनाल-132001
डा० महीपाल सिंह, वैज्ञानिक-1
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान
करनाल-132001

पौधा लगाया था जिन्होंने, वे नहीं मौजूद हैं, पानी लगाया था जिन्होंने, वे भी किनारा कर गए। फूल आए, फल लगे पर चखने वाले और हैं। ए! चखने वालो फल चखो, पर पौधे को जर-जर ना करो।

महेन्द्र पाल सिंह

उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रभावी कार्यान्विति

के० के० रन्धर

सूत्र संख्या–3

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभदायक आर्थिक कार्यक्रम देकर उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के सभी विकास खण्डों के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना का संचालन भारत सरकार के 50 प्र० श० अंशदान तथा 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार के अंशदान से चलाई जा रही है।

वर्ष 1984–85 में इस योजना हेतु 7094 लाख रुपये के परिव्यय के सापेक्ष में जून, 1984 तक 674.65 लाख रुपये व्यय किए गए। आलोच्य वर्ष में 532 लाख लाभान्वित किए जाने वाले परिवारों के लक्ष्य के विपरीत जून, 1984 तक 51457 परिवारों को कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, उद्योग एवं व्यवसायों से सम्बन्धित कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। जिसमें 22294 परिवार अनुसूचित/जनजाति के हैं। इस अवधि में लाभार्थियों को 1403.21 लाख रुपये का ऋण व्यावसायिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा वितरित किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

यह योजना प्रदेश में दिसम्बर, 1980 से संचालित की जा रही है। अब यह योजना छठी पंचवर्षीय योजना का अभिन्न अंग बन गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के साधन के साथ-साथ स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना इस योजना का विशेष उद्देश्य है। योजना का आधा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा एवं आधा भाग प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 1983–84 से इस योजना का कार्यान्वयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत जनपदों के लिए वित्तीय प्रावधान, सीमान्त कृषकों, भूमिहीन कृषक मजदूरों एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। सम्बन्धित अभिकरण चयनित परियोजनाओं का कार्यान्वयन उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषदों, विकास खण्डों तथा तकनीकी विभागों जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग अथवा बन विभाग आदि से कराने हेतु स्वतन्त्र है।

वर्ष 1984-85 में प्रश्नगत योजना हेतु 7844 लाख रुपये का परिव्यय लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष में जून, 1984 तक 795.32 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। उक्त धन का व्यय श्रम, सामान तथा खाद्य सामग्री के भुगतान के लिए किया गया है। आलोच्य वर्ष में 462.12 लाख मानव-दिवस लक्ष्य के सापेक्ष में 46 लाख मानव-दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। जिसमें 17.85 लाख मानव-दिवसों के रोजगार का लाभ अनुसूचित जाति, .56 लाख अनुसूचित जनजाति तथा 27.59 लाख मानव-दिवस का लाभ सामान्य सदस्यों को प्राप्त हुआ।

सूत्र संख्या–8

ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना—मानवीय आवश्यकताओं में पेयजल जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण-अंचलों में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में जहां पेयजल सुविधा नहीं है यह सुविधा सुलभ बनाने हेतु यह योजना 1972 में प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत मैदानी जिलों में पेयजल कुओं, कुछ क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों एवं पर्वतीय क्षेत्र में डिग्गियों का निर्माण शत-प्रतिशत राजकीय सहायता से कराया जाता है।

1 अप्रैल, 1984 से हरिजन पेयजल योजना का परिव्यय/प्रावधान उत्तर प्रदेश जल निगम को शासकीय नियमानुसार सीधे आवंटित किया जाना प्रस्तावित हुआ है। वर्ष 1984–85 में इस योजना के अन्तर्गत 296 लाख रु० का प्राविधान रखा गया है।

जून, 1984 तक 24.51 लाख रु० इस योजना पर व्यय किए गए हैं।

सूत्र संख्या–9

ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना—हमारे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनतम परिवारों के सदस्यों को आवास-निर्माण हेतु प्रेरक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्बल वर्ग आवास योजना वर्ष 1979–80 से संचालित की जा रही है। इस सुविधा के लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, कृषक मजदूर तथा अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्ति हैं।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को निर्धारित डिजाइन के अनुसार प्राक्कलन की कुल लागत का मैदानी क्षेत्र में 75 प्रतिशत या 2,000 रुपये जो भी कम है, पर्वतीय क्षेत्रों में लागत का 75 प्रतिशत या 3,000 रुपये जो भी कम हो, अनुदान के रूप में प्रति आवास की सामग्री हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष धन राशि का वहन लाभार्थी स्वयं अपने श्रम साधनों से करता है।

वर्ष 1984–85 में 12,626 निर्बल वर्ग आवास के लक्ष्य के

सापेक्ष में जून, 1984 तक 864 आवास निर्मित हुए। जिसमें 559 आवास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए हैं।

आलोच्य वर्ष में इस योजना पर 292 लाख रु० परिव्यय के सापेक्ष में जून, 1984 तक 18.95 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

सूत्र संख्या–12

राष्ट्रीय जनता बायोगैस योजना

गोबर के दुरुपयोग को रोकने तथा ग्रामीण जीवन में ईंधन एवं प्रकाश की आवश्यकता को पूरा करने एवं उच्च कोटि का जैविक खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की योजना चलाई जा रही है। वर्ष 1981–82 से यह योजना 'नेशनल प्रोजेक्ट आफ बायोगैस डेवलपमेंट' के रूप में चलाई जा रही है। यह योजना केन्द्र पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत संयंत्रों की क्षमता के अनुसार अनुसूचित जनजाति/लघु-सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषकों को 1,500 रु० से 30,270 रुपये तक का अनुदान एवं सामान्य कृषकों को 1,000 रुपये से 20,180 रु० तक का अनुदान दिया जाता है तथा विकास खण्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सीमेन्ट आदि की व्यवस्था कराई जाती है।

इस योजना पर वर्ष 1984–85 में अनुदान एवं प्रोत्साहन के रूप में 602 लाख रुपये के परिव्यय के सापेक्ष में जून, 1984 तक 12.19 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

आलोच्य वर्ष में जून, 1984 तक 4,727 संयंत्र बनाए जा चुके हैं।

सूत्र संख्या–15

विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 1984–85 में मैदानी क्षेत्र के 68 विकास खण्डों में तथा पर्वतीय क्षेत्र के 24 विकास खण्डों में चलाई जा रही है। प्रयास है कि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्रतिदिन 30 पैसे के पूरक आहार में 10–12 ग्राम प्रोटीन और 250 से 300 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके।

वर्ष 1984–85 में मैदानी क्षेत्र में 6,600 माताओं व 20,000 बच्चों तथा पर्वतीय क्षेत्र में 5,600 माताओं व 16,000 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष में जून, 1984 तक मैदानी क्षेत्र में क्रमश: 4,742 व 14,020 तथा पर्वतीय क्षेत्र में क्रमश: 1,243, व 2,393 की उपलब्धि हुई है। लाभान्वितों में, गर्भवती तथा धात्री माताएं तथा 0–6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं। □

अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम ✻ किशन रतनानी

भारत सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो ऋण योजना प्रारम्भ की गयी है उनके प्रति केवल कम पढ़े-लिखे युवक ही नहीं बल्कि अधिक पढ़े-लिखे युवक भी आकर्षित हो रहे हैं।

इसका एक उदाहरण हमें दो शिक्षित युवकों की कहानी से मिला। मंगलचन्द और हरिनारायण नाम के ये नवयुवक सीकर जिले की पंचायत समिति खण्डेला के ग्राम थोई के निवासी हैं। मंगलचन्द की उम्र 25 वर्ष है तथा वह कला स्नातक है। 24 वर्षीय हरिनारायण ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है।

इन दोनों का प्रारम्भ से ही नौकरी के प्रति लगाव कम था हालांकि ये अधिकाधिक शिक्षा तो हासिल करना चाहते थे। जब इन दोनों ने शिक्षा प्राप्त कर ली तब वे अपने भविष्य के बारे में विचारने लगे। इस दौरान उनके घर परिवार वालों तथा मित्रों-संबंधियों ने भी कई सलाहें दीं।

एक दिन इन दोनों ने अखबार में पंजाब नेशनल बैंक का एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रारूप दिया गया था तथा सम्बन्धित शिक्षित युवकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे।

इन दोनों ने ही गांव के समीपवर्ती पंजाब नेशनल बैंक, कांवट में आवेदन प्रस्तुत कर दिया। मंगलचन्द ने थोई में सौन्दर्य प्रसाधन तथा दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री की दुकान लगाने के लिए तथा हरिनारायण ने बूट हाऊस खोलने के लिए बैंक से ऋण मांगा। इनके आवेदन-पत्रों के आधार पर जिला उद्योग अधिकारी सीकर ने इनका साक्षात्कार लिया। इसके बाद इनका ऋण योजना में चयन हो गया तथा मंगलचन्द को 18,800 तथा हरिनारायण को 2,3500 रुपये ऋण के रूप में मिलना मंजूर हो गए।

इन दोनों ने अपने ही ग्राम थोई में दोनों दुकानें खोल लीं। बिक्री होने वाले माल पर ये दोनों दस प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं। दुकान खोलने के पहले ही महीने से इनकी लगभग दो-दो सौ रुपये की प्रतिदिन बिक्री होने लगी। दुकान का किराया जो सौ रुपये प्रति माह है काटकर ये दोनों प्रति माह पांच सौ से छह सौ रुपये तक कमाने लग गए हैं। चूंकि ये दोनों ही सुशिक्षित हैं इसलिए अन्य दुकानदारों के मुकाबले ये अधिक व्यवहार कुशल हैं। इसकी वजह से इनकी बिक्री दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। दोनों में भरपूर आत्म-विश्वास है, हो भी क्यों नहीं, आखिर दोनों का स्वरोजगार है। □

किशन रतनानी,
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
सीकर

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मासिक रिपोर्ट

संशोधित लेखा पद्धति को लागू करने, निगरानी, खण्ड वार लेखों के रख-रखाव, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम सेवकों द्वारा रखे जाने वाले रिकार्डों, बैंकों के साथ हिसाब-किताब आदि से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने हेतु दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के लिए हैदराबाद में 8 से 10 अगस्त, 1984 तक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए परिसम्पत्तियों की खरीद के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होने के कारण, पुनरीक्षा करने पर राज्य सरकारों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के हित के लिए संपूर्ण पद्धति को सुव्यवस्थित करने हेतु एक विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया गया है ।

31-8-1984 तक संकलित सूचना के अनुसार 6.85 लाख लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है । इनमें से 2.68 लाख लाभभोगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं जो कि 39.12 प्रतिशत बनता है ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम पर केन्द्रीय समिति की एक बैठक 24-8-1984 को हुई थी। समिति ने 58.09 करोड़ रुपये के मूल्य की 23 परियोजनाओं का अनुमोदन किया। समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों को सहायता पहुंचाने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बहु-उद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के प्रस्ताव का भी सिद्धान्त रूप से अनुमोदन किया तथा राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे इस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव भेजें ।

ऋण

पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त पर एक-दो दिन की क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन 27 तथा 28 अगस्त, 1984 को एच० सी० एम० लोक प्रशासन का राजस्थान राज्य संस्थान, जयपुर में किया गया था। इस संगोष्ठी से विभिन्न कार्यकर्ताओं को मिलजुलकर समस्याओं का पता लगाने, अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा बुनियादी-स्तर पर बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए एक प्रणाली तैयार करने का अवसर मिला ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था :—

(1) प्रत्येक के लिए एक पाठ्यक्रम (क) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों हेतु ग्रामीण गतिशीलता, (ख) सहायक परियोजना अधिकारियों (उद्योग) तथा अन्य जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन, (ग) ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय सहायता तथा (घ) ऋण योजना का ग्रामीण विकास आयोजना के साथ समन्वय;

(2) स्वरोजगार तथा राज्य स्तरीय व्यवस्थापकों हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर दो संगोष्ठियां; तथा

(3) समन्वित ग्रामीण विकास लेखा तथा मानीटरिंग पर एक कार्यशाला ।

मानीटरिंग (20 सूत्री कार्यक्रम)

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सचिव (ग्रा० वि०) की अध्यक्षता में 28 अगस्त, 1984 को संचालन समिति की एक बैठक हुई थी । समिति ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम तथा भूमि वितरण आदि के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा की ।

जन सहयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय निधि के अन्तर्गत 15,00,500/- रुपये का चन्दा प्राप्त हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

इस मंत्रालय के श्री मोहिन्दर सिंह, सचिव (ग्रा० वि०) तथा श्री वी० पी० चावला, निदेशक (अ० स०) को ए० ए० आर० आर० ओ० द्वारा मौरिशस में 14-8-84 से लेकर 23-8-84 तक आयोजित 8वें सामान्य अधिवेशन में भाग लेने हेतु भेजा गया था ।

विविध

इस मंत्रालय ने 3 सितम्बर, 1984 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रामीण विकास के प्रभारी सचिवों का एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया। इसके पश्चात् 4 तथा 5 सितम्बर, 1984 को ग्रामीण विकास के राज्य मंत्रियों का दो दिन का सम्मेलन हुआ । इन दो सम्मेलनों में (1) 7वीं योजना में गरीबी निरोधक कार्यक्रमों हेतु नीति से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई तथा (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, मरु भूमि विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की गई । □

जन-जागृति का संवाहक : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

जे० सी० लोहनी

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केवल प्रौढ़ शिक्षा विभाग का ही कार्य नहीं, वरन् यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के संचालन में अधिकाधिक जनसहयोग अपेक्षित है। भारत के प्रत्येक साक्षर नागरिक का यह पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिए कि निरक्षरता का अभिशाप दूर करने में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पूरा सहयोग प्रदान कर। निरक्षरता के कारण व्यक्ति राष्ट्र और समाज का सक्रिय अंग नहीं बन पाता। किसी राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन का, निरक्षरता एक गंभीर कारण है। साक्षरता राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगीकरण तथा कृषि उत्थान को प्रभावित करती है।

नवीन बीस सूत्रीय कार्यक्रम का जो 16वां सूत्र है, उसमें प्रौढ़ शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है :—

"6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की जाए और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालकों को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाए। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं का और अधिक सहयोग लिया जाए ताकि वयस्कों में व्याप्त निरक्षरता का अंधकार दूर हो सके।"

प्रौढ़ शिक्षा जागृति की त्रिवेणी

प्रौढ़ शिक्षा बड़ी व्यापक है। यह प्रौढ़ों को अक्षरज्ञान व अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं, अपितु उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर उन्हें कुशल कृषक, श्रमिक, कारीगर, दस्तकार अथवा व्यवसायी बनाने के साथ-साथ जागरूक नागरिक एवं एक सफल व्यक्ति बनाने का संकल्प लेकर चलती है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता, व्यावसायिक कुशलता एवं चेतना जागृति की त्रिवेणी है, जो प्रौढ़ों को शिक्षित व जागरूक बनाकर उनके जीवन को कल्याणकारी बनाती है।

इस कार्यक्रम के मुख्य तीन घटक हैं:—

साक्षरता प्रसार

प्रौढ़ व्यक्ति को समझ-समझ कर सामान्य गति से किताब पढ़ने की योग्यता उत्पन्न कराई जाती है। वह सरल शब्द लिख सके, 100 अंक तक की गणना कर सके और साधारण जोड़, गुणा, बाकी व भाग का ज्ञान उसे हो, यह साक्षरता प्रसार का प्रमुख उद्देश्य है।

व्यावसायिक कुशलता

प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रौढ़ों द्वारा किए जा रहे विभिन्न उद्योग-धंधे जैसे कृषि, पशुपालन, लघु-कुटीर उद्योग के कौशल को समुन्नत करने का ज्ञान देना, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं-योजनाओं की जानकारी देकर प्रौढ़ों को नए उद्योग-धंधों की स्थापना की ओर अग्रसर करना है। व्यावसायिक कुशलता का अभिप्राय यह नहीं कि इन्हें तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित करना बल्कि समुन्नत तकनीक से कार्य कर, बचत कर, आमदनी में वृद्धि करना है। उदाहरणार्थ एक कृषक वैज्ञानिक विधि से उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करेगा तो वह कम खाद से भी, यानी उचित मात्रा में वैज्ञानिक विधि से सही प्रयोग कर उर्वरक की बचत कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकता है। गोबर गैस प्लान्ट लगा कर खाद व इंधन दोनों की उचित व्यवस्था कर अपनी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि कर सकता है। अल्प बचत योजना के कार्यक्रमों से अपने भविष्य व वृद्धावस्था हेतु बचत कर सकता है।

चेतना जागृति

प्रौढ़ शिक्षा का तीसरा प्रमुख आयाम चेतना जागृति है अर्थात् प्रौढ़ों को नागरिक अधिकार और कर्तव्य का बोध कराकर जागरूक नागरिक बनाना तथा विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की जानकारी कराकर लाभ उठाने की प्रक्रिया से परिचित कराकर चेतना को जागृत करना है।

उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में महिला साक्षरता में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए इस वर्ष उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा 25 लाख रुपये का राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे प्रदेश की एक उपलब्धि ही माना जाना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, परन्तु साक्षरता के क्षेत्र में प्रदेश की गणना 25वें स्थान पर की जाती है। देश के 44 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों में 8 करोड़ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं जिसमें 15 से 35 वर्ष की आयु के देश में 10 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों में 2.03 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ इस प्रदेश में हैं।

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने समाज के शोषित, उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, मजदूर, निर्बल वर्ग, महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों, जनजातियों के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया है। जो व्यक्ति स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए, 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोग मुख्य लक्ष्य रहे, यद्यपि इससे अधिक आयु वर्ग के लोग भी लाभ उठा चुके हैं। मिल मजदूर झुग्गी-झोंपड़ी, मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी लोगों के भी मध्य कार्यक्रम संचालित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अवधि 10 मास है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र लोगों की सुविधानुसार 2 घंटे के लिए सुबह, दोपहर, सायं अथवा रात्रि में लगाए जाते हैं। महिलाओं के केन्द्र पृथक हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अनुदेशों को रोल-अप-बोर्ड, लालटेन, मिट्टी का तेल, चार्ट्स, पोस्टर, विक्रय पुस्तिकाएं केन्द्रों पर दी जाती हैं। प्रौढ़ों को लेखन सामग्री पुस्तक निःशुल्क दी जाती हैं।

सहयोग एवं समन्वय

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन में शासकीय अभिकरणों के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाएं, नेहरू युवक केन्द्रों, विश्वविद्यालयों

की सहभागिता प्राप्त की जाती है। जिला स्तर पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों एवं उनके कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति एवं जिला संदर्भ इकाइयां गठित की गई हैं।

सहकारी संस्थाएं भी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं। प्रदेश में गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्राथमिक ऋणदायी सहकारी समिति कार्यरत है। इन समितियों के अपने भवन, गोदाम एवं किराए के भवन हैं। सहकारी आन्दोलन के प्रतिभागी भी वास्तविकता में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ ही हैं। सहकारिता आन्दोलन के विकास और विस्तार के लिए साक्षरता अति आवश्यक है। सहकारी आन्दोलन में जो दोष व निर्बलताएं उत्पन्न हुईं उनके लिए ग्रामीण स्तर पर इसमें निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों में सहभागिता पर्याप्त सीमा तक उत्तरदायी रही है। प्रौढ़ शिक्षा के जरिए इस कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए गए।

सहकारी समितियों का उद्देश्य

सहकारी आन्दोलन का उद्देश्य भी समाज के शोषित, उपेक्षित और दुर्बल वर्ग को उभारना है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी निर्बल वर्ग, समाज के शोषित व्यक्तियों को लेकर चला है। सहकारी आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं से सामान्य सम्बन्ध स्थापित कर इस कार्यक्रम हेतु पहल करनी चाहिए। क्योंकि सहकारी आन्दोलन सामाजिक उद्देश्यों के साथ आर्थिक उत्तरदायित्व भी रखता है। अतः यह एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि होगी यदि साथ ही साथ सभी सहकारी सदस्यों को भी प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

प्रदेश के सामने यह एक चुनौती है कि 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों, जो सबसे अधिक उत्पादक हैं और जिनकी संख्या 2 करोड़ 30 लाख आंकी गई है को वर्ष 1990 तक साक्षर बनाना है। कार्यक्रम के प्रति आस्था, निष्ठा, विश्वास व लगन तथा संकल्प से उत्तर प्रदेश इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार पाने के बाद यह विश्वास दृढ़ होता है।

अतिरिक्त आय का साधन
रेशम उत्पादन

शिव प्रसाद भारती

भारत प्रमुख रूप से कृषि प्रधान देश है। यद्यपि यहां पर उद्योग को भी काफी महत्व दिया गया है और हम उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, किन्तु यहां के लगभग 80 प्रतिशत लोगों का जीवन यापन कृषि पर ही आधारित है। समय-समय पर कृषि में नई-नई विधियों के विकास से काफी उत्पादन बढ़ा है। कुछ क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं रासायनिकों के प्रयोग का भी उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। सिंचाई के माध्यम भी बढ़े हैं। किन्तु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां न तो सिंचाई के विशेष साधन बढ़े हैं और न ही आधुनिक कृषि यन्त्रों एवं रासायनिकों का प्रयोग बढ़ा है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।

बुन्देलखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का ऐसा ही क्षेत्र है जहां सिंचाई के साधनों की अत्यन्त कमी है जिसके कारण वहां के किसान मात्र दो ही फसलें ले पाते हैं। इस क्षेत्र में जहां रबी की अच्छी खेती होती है, वहां खरीफ की नहीं होती, और जहां खरीफ अच्छी होती है वहां रबी बहुत कम। बुन्देलखण्ड के किसानों एवं कृषि पर आधारित मजदूरों के पास लगभग चार माह का समय खाली रहता है जिसमें उनके पास कोई विशेष कार्य नहीं रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे किसान, जो वर्ष का एक तिहाई भाग खेत खाली छोड़ देते हैं, उसमें भी उनको कोई फसल उगाने का अवसर मिले जो उनकी अतिरिक्त आय के रूप में सहयोगी हो। विशेषकर बुन्देलखण्ड के पाला क्षेत्र, मिर्जापुर एवं ललितपुर के आदिवासियों एवं मध्य प्रदेश के जंगलों में रेशम उत्पादन एक अत्यन्त लाभकारी कृषि उद्योग के रूप में उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यहां जीवन यापन जंगल पर ही आधारित रहता है। ऐसे आदिवासियों, किसानों एवं कृषि मजदूरों के खाली समय को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन प्रचलित किया जा सकता है, जो आज कल कृषि उद्योग के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई अधिक मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले रेशम उत्पादन का कार्य हिमालय की तराई में किया जाता था, किन्तु कृषि उद्योग के रूप में रेशम उत्पादन का सर्व प्रथम विकास कर्नाटक में हुआ, बाद में पश्चिमी बंगाल काफी आगे हो गया और अब धीरे-धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है। आज कल रेशम की मलबरी, टसर, एयरी एवं मूंगा नामक चार किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग किस्मों का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे तराई क्षेत्रों में मलबरी रेशम एवं शुष्क तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में टसर रेशम का उत्पादन किया जा सकता है। एयरी एवं मूंगा रेशम का व्यावसायिक उत्पादन अधिक विकसित नहीं हो सका है।

उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र में रेशम उत्पादन लगभग 30-35 वर्षों से चल रहा है जिसका मुख्य केन्द्र गढ़वाल मण्डल का पहाड़ी क्षेत्र रहा है। जो धीरे-धीरे 31 जनपदों में फैल चुका है। तराई एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रेशम विकास परियोजनाएं काफी प्रचलित हो चुकी हैं। यहां साधारण किसान एवं मजदूर भी अतिरिक्त समय में रेशम उत्पादन का कार्य करते हैं। रेशम उत्पादन के लिए किसी निर्धारित भूमि या फार्म की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसे कितने भी कम क्षेत्र में उत्पन्न कम लागत से प्रारम्भ किया जा सकता है। और बाद में अधिक से अधिक क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। रेशम उत्पादन एक कृषि पूरक उद्योग माना गया है, जो निजी रोजगार आरम्भ करने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है।

रेशम विशेषज्ञों के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केवल टसर रेशम का उत्पादन सफलता पूर्वक किया जा सकता है। टसर का उत्पादन अर्जुन या आसन के वृक्षों पर होता है। जो कम पानी की उपलब्धता में भी बड़े हो जाते हैं और इस क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हैं। रेशम उत्पादन के लिए शहतूत या अर्जुन के पत्तों एवं रेशम के कीड़ों की आवश्यकता होती है। उत्पादकों द्वारा कीड़ों को पत्तियां उपलब्ध कराना ही मुख्य काम होता है। शहतूत की पत्तियों से मलबरी रेशम तथा अर्जुन या आसन से टसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम उत्पादन में सभी प्रजातियों के लिए मुख्यत: दो चरनों से गुजरना पड़ता है।

प्रथम चरण :—रेशम उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि का चयन किया जाता है। बुन्देलखण्ड की ऊबड़-खाबड़ भूमि का चयन टसर उत्पादन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यहां इस प्रकार की भूमि का कोई उपयोग नहीं होता। वैसे तो लगभग सभी प्रकार की भूमि में अर्जुन के पौधे उगाए जा सकते हैं, किन्तु जितनी अच्छी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा, उतनी ही अधिक पत्तियां प्राप्त होंगी, उससे उतनी ही अधिक रेशम का उत्पादन किया जा सकता है। किन्तु बुन्देलखण्ड की उपजाऊ भूमि को ही इस उत्पादन के लिए चुना जाना उचित होगा। क्योंकि इस भूमि का कोई उपयोग नहीं होता है और कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता है इससे कटाव रोकने में भी मदद मिलेगी।

भूमि चयन के उपरान्त जुताई कराकर उसमें अर्जुन की पौध लगाने का कार्य किया जाएगा। यदि भूमि ऊबड़-खाबड़ है तो उसके समतलीकरण के लिए भी सरकार से अनुदान की व्यवस्था की जाती है। वृक्षारोपण के लिए अर्जुन या शहतूत की पौध मुफ्त प्रदान की जाती है। शहतूत के पौधों से लगभग 6 माह में तथा अर्जुन के पौधों से लगभग एक साल में उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता है। अन्य कृषि कार्यों के साथ-साथ इन पौधों की थोड़ी बहुत देखभाल करना भी रेशम उत्पादन के लिए पर्याप्त है। जब पौधों में पर्याप्त पत्तियां आ जाएं, तो समझिए रेशम उत्पादन का प्रथम चरण पूरा हो गया।

द्वितीय चरण :—पौधे तैयार हो जाने पर समीप के रेशम परियोजना अधिकारी द्वारा मुफ्त कीड़े उपलब्ध कराये जाते हैं। टसर रेशम उत्पादन के लिए कीड़े अर्जुन के पेड़ों पर चढ़ा दिए जाते हैं। जब कि मलबरी रेशम के लिए कीड़ों को लकड़ी की ट्रे में रखा जाता है। टसर का उत्पादन पेड़ों पर होता है, और मलबरी रेशम घर पर पैदा किया जा सकता है। पेड़ों पर कीड़े चढ़ाने के बाद इन्हें कुछ दिनों तक चिड़ियों से बचाना पड़ता है। क्योंकि कहीं-कहीं चिड़ियां इन कीड़ों को खा जाती हैं। पत्तियां खाते-खाते कीड़े निर्धारित समय में कोकून बना देते हैं जिन्हें एकत्र कर लिया जाता है। कोकून ही रेशम की प्रथम अवस्था है।

उपर्युक्त विधि से तैयार किए गए कोकून रेशम विकास परियोजना द्वारा निर्धारित दर पर खरीद लिए जाते हैं और नगद भुगतान कर दिया जाता है। बाजार में कोकून बेचने की समस्या भी नहीं रहती है। इन्हीं कोकून से बाद में रेशम निकाला जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों को अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि सामान्य खेती की देखभाल के साथ-साथ यह फसल भी तैयार हो जाती है, जिसे आप कैश क्राप या कृषि उद्योग कह सकते हैं। इस उद्योग से खर्च काट कर चार पांच हजार रुपये प्रति एकड़ तक आय प्राप्त की जा सकती है। रेशम उत्पादन की विधि जानने के बाद, यह जानना आवश्यक है कि इसके लिए सरकारी सहायता कहां से एवं कैसे मिलती है।

रेशम उत्पादन परियोजना हैण्ड लूम कारपोरेशन की ओर से चलाई जा रही है। विभिन्न प्रदेशों में प्रदेशीय हैण्डलूम कारपोरेशन स्थापित किए गए हैं। हैण्डलूम कारपोरेशन की ओर से रेशम परियोजना के क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय खोले गए हैं। जहां से किसान भाइयों को सभी प्रकार की सुविधाएं एवं मार्ग दर्शन दिया जाता है। बुन्देलखण्ड के लिए बहु उपयोगी टसर रेशम परियोजना का मण्डलीय कार्यालय, महोबा म स्थापित किया गया है, यहां से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए रेशम उत्पादन की सुविधाएं एवं मार्ग दर्शन दिया जाता है। इसी प्रकार के परियोजना कार्यालय बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किए जा रहे हैं। टसर उत्पादन के मार्ग दर्शन के लिए मिर्जापुर में भी एक कार्यालय खोला गया है। रेशम उत्पादन का प्रदर्शन दिखाने के लिए सरकारी फार्म भी स्थापित किए जा रहे हैं जहां रेशम उत्पादन की विधियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार का एक फार्म हमीरपुर जनपद के कबरई विकास खण्ड में रेवई सुसैचा गांव में स्थापित किया गया है।

आदिवासी जंगलों में काम करने के अधिक अभ्यस्त होते हैं। चूंकि टसर रेशम पेड़ों पर उत्पादित होने वाली किस्म है, इसलिए यह आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है। इसीलिए परियोजना के फार्मों पर मजदूर भी आदिवासी ही रखे जाते हैं। जिससे वे रेशम उत्पादन के कार्य को समझ सकें तथा अपनी अतिरिक्त आय का साधन बना सकें। महोबा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थापित फार्म में प्रदर्शन उत्पादन के लिए 40 एकड़ क्षेत्रफल में अर्जुन का वृक्षारोपण किया जा चुका है। इसी प्रकार का एक फार्म बांदा जनपद के पाठारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है जिसमें कोल आदिवासियों को रेशम उत्पादन की जानकारी मिल सके, तथा वे स्वयं इस ओर आकर्षित हो सकें।

बुन्देलखण्ड में संचालित टसर रेशम परियोजना इण्डो स्विस अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना का भाग है जो मिर्जापुर क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिए चलाई जा रही है। बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों में इस योजना को बढ़ाने के लिए 50 लाख की लागत से एक अलग टसर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश शासन के विचाराधीन है जिससे रेशम उत्पादन को इस क्षेत्र के प्रत्येक भाग में फैलाया जा सके, तथा अधिक से अधिक किसान एवं कृषक मजदूर लाभान्वित हो सकें। □

739/5, मर्दननाका
समीप नवाब मोटर वर्क्स
बांदा उ० प्र०

बुन्देलखण्ड में लघु सिंचाई कार्यक्रमों की प्रगति---एक रपट

वेद प्रकाश गुप्त

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 1 में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का दोहरा लाभ है। सिंचाई बढ़ाने के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जो कार्य शुरू किए जाते हैं उनसे श्रम-दिवसों का सृजन होता है और जब वे कार्य सफल हो जाते हैं तो पैदावार बढ़ती है और पुनः श्रम-दिवसों का सृजन होता है। हर कृषक को देश की, समाज की और स्वयं अपनी भलाई के लिए भी अपने खेतों के लिए अधिकाधिक सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना चाहिए।

सिंचाई क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए हर राज्य सरकार ने क्षेत्रों की विशेषताओं के अनुसार अपने-अपने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए हैं जिनका लाभ कृषकों को उठाना चाहिए। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यावसायिक बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घकालिक ऋण दिए जाने और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दिए जाने की व्यवस्था मौजूद है।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से लघु सिंचाई कार्यक्रमों संबंधी एक रिपोर्ट यहां प्रस्तुत है। हमारा देश विशाल है और यहां प्रस्तुत जानकारी अन्य कई क्षेत्रों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है।

उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र राज्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जिसमें पांच जनपद झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और बांदा हैं। बुन्देलखण्ड उत्तर में यमुना नदी से व अन्य तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है।

प्रदेश का यह भाग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है किन्तु अभी भी यह भाग पिछड़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती-बाड़ी है। यह क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण किसान कुएं और तालाब से सिंचाई सुविधा जुटाने में असमर्थ हैं। अतः किसान वर्षा पर ही निर्भर रहता है जो कि अनिश्चित है। यहां की नदियां मुख्यतः वर्षा में ही बहती हैं और वर्ष के अन्य भाग में सूख जाती हैं। फलस्वरूप एक ही विकल्प बचता है कि बरसात में नदियों में जो पानी आए उसको रोक कर प्रयोग में लाया जाए।

इन्हीं कारणों से चन्देला और बुन्देला राजाओं द्वारा बड़ी संख्या में छोटे-छोटे तालाबों एवं बंधियों का निर्माण कराया गया था जिनमें कुछ तालाब वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी बेतवा नहर, घसान नहर, केन नहर व अन्य छोटी-छोटी नहरों का निर्माण कराया था व इन नहरों को बांधों से पानी उपलब्ध कराया था।

बुन्देलखण्ड का तल रूप (टोपोग्राफी)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र को यमुना नदी द्वारा गंगा-यमुना के मैदानी क्षेत्र से पृथक किया गया है। भूमि का ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसी दशा में सभी नदियां बहती हैं। यहां सामान्य भूदृश्य मात्र ऊंची-नीची पहाड़ियों, गहरी घाटियों तथा मार मिट्टी के मैदान हैं जो कि उत्तर में यमुना तक फैले हुए हैं।

इस क्षेत्र की मिट्टी गंगा-यमुना के समतल क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। गंगा-यमुना का समतल क्षेत्र गंगा व यमुना द्वारा साथ में बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है जबकि यहां की मिट्टी चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया से ही बनी है। मिट्टी भिन्न होने पर भी गंगा-यमुना के समतल मैदान के समान ही उपजाऊ है और यदि इसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो यहां पर भी वर्ष में दो या तीन फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। यहां पर मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक लाल और दूसरी काली, स्थानीय भाषा में मिट्टी को चार नामों---मार, कावर, परवा, और राकड़ से जाना जाता है।

बुन्देलखण्ड मण्डल के बोए गए क्षेत्र में 17.68 प्रतिशत राकड़, 38.51 प्रतिशत परवा, 12.42 प्रतिशत मार एवं 37.44 प्रतिशत कावर भूमि है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल के प्रमुख स्रोत यमुना, जामनी, विरना, चन्द्रावल, केन, पैसुनी, बायेन इत्यादि नदियां हैं। यमुना

नदी को छोड़ कर अन्य सभी नदियां केवल बरसात में बहती हैं और वर्ष के अन्य भाग में सूख जाती हैं। अब तक नदियों का यह पानी व्यर्थ समुद्र में विलीन हो रहा है। बरसात के इस पानी का सदुपयोग बांध बनाकर सिंचाई के लिए किया जा सकता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जलवायु चट्टानों पर जंगल न होने के कारण अत्यधिक शुष्क और गर्म है। वर्ष का औसत ताप 26 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। वर्ष की सबसे अधिक ठंड जनवरी में पड़ती है जिसका औसत ताप 18 डिग्री सेन्टीग्रेड है एवं वर्ष के सबसे गर्म महीने मई और जून होते हैं जिससे केवल वर्षा ऋतु में ही राहत मिलती है। मई का औसत ताप 36 डिग्री सेन्टीग्रेड है और अधिकतम ताप 46.5 डिग्री सेन्टीग्रेड हो जाता है।

इस क्षेत्र की पिछले 50 वर्षों की औसत वर्षा 782 मिमी० से 946 मिमी० है। यहां की वर्षा अनिश्चित रहती है। यहां पानी का मुख्य स्रोत बड़े-बड़े जलाशय हैं जिनमें वर्षा का पानी एकत्र रहता है एवं जिनका उपयोग वर्ष भर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र में जहां बोरिंग आसानी से हो जाती है वहीं भूगर्भीय जल का दोहन करके पानी एकत्र किया जाता है। नदियों के अत्यन्त उथले होने के कारण सतही जल का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र में राजकीय नलकूपों का पहले से ही अभाव है। इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मात्र साधन लघु सिंचाई कार्यक्रमों का प्रसार है जिनके अन्तर्गत ब्लास्ट कूप, सिंचाई कूप रहट, पम्पसेट, नलकूप, बन्धी, गहरी बोरिंग इत्यादि कार्यों का निर्माण किया जाता है। सिंचाई के इन निजी साधनों की स्थापना के लिए कृषकों को विभिन्न व्यावसायिक एवं भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है।

इस मंडल के 29.66 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में 18.24 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। एक बार से अधिक बोआई का क्षेत्रफल 2.31 लाख हैक्टेयर है और कुल बोया गया क्षेत्रफल 20.55 लाख हैक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 4.37 लाख हैक्टेयर तथा एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल 0.27 लाख हैक्टेयर और कुल सिंचित क्षेत्रफल 4.64 लाख हैक्टेयर है। इस प्रकार प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल 22.59 बैठता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है—एक पठारी क्षेत्रफल जिसमें 25 विकास खण्ड हैं और दूसरा मैदानी क्षेत्रफल जिसमें 22 विकास खंड आते हैं। पठारी विकास खण्डों में से आठ विकास खण्ड (बबीना, बड़ागांव, बंगरा, मऊरानीपुर, गुरुसराय, बामौर, चिरगांव, एवं मौठ) झांसी जनपद में हैं, छह विकास खण्ड (महरौनी, लालबेहट, जखोरा, बार, बिरधा और मदौरा) ललितपुर जनपद में, पांच विकास खंड (चरखारी, कबरई, पनवारी, जैतपुर और महोबा) हमीरपुर में और छह विकास खण्ड (मानिकपुर, मऊ, रामनगर, पहाड़ी, चित्रकूट एवं नरैनी) बांदा जनपद में हैं।

मैदानी भागों में नलकूप, सतही जल स्रोतों एवं बोरिंग कूप पम्प सेट की स्थापना, रहट, सिंचाई, कूप एवं छोटे नालों पर चैक डैम, निर्मित किए जाते हैं। पठारी भागों में उक्त कार्यों के अतिरिक्त ब्लास्ट कूप एवं गहरे नलकूप निर्मित किए जाते हैं।

लघु सिंचाई साधन

ब्लास्ट कूप

सामान्य कृषकों के लिए कूप, सिंचाई के सस्ते एवं आसान साधन हैं। परन्तु यहां की भूमि में सख्त चट्टानों के आ जाने के कारण उनका खोदना दुरूह एवं कठिन है। कूपों को गहरा करने की इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यहां के पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट कूप निर्मित किए जाते हैं। इन कूपों को गहरा करने के लिए ब्लास्टिंग द्वारा पत्थरों को तोड़ा जाता है। टूटे हुए पत्थर मानव शक्ति द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। एक बार में प्रायः ढाई फिट मोटी पत्थर की तह टूट जाती है। इस क्रिया को बार-बार दुहराने से कूप की गहराई बढ़ाई जाती है। कूप की गहराई बढ़ाने से कूप की जल-धारण क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार के कूप सिंचाई एवं पेयजल दोनों के उपयोग में आ सकते हैं। इन कूपों में पानी पत्थरों की तरेड़ों (कैकस) एवं जोड़ों से आता है।

चैक डैम

असमतल एवं पथरीली भूमि होने के कारण नालों का जल प्रायः मैदानी भागों की ओर बह जाता है। नालों के जल का उपयोग नालों द्वारा बहते पानी को रोककर किया जाता है। इसके लिए नाले की चौड़ाई में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है जिससे पानी दीवार के पास रुकता है जिसका उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सकता है। बरसात इत्यादि में पानी का तल अधिक होने के कारण पानी दीवार के ऊपर से बह सकता है। इस प्रकार के चैक डैम अब कोर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मण्डल के प्रत्येक जनपदों में निर्मित किए जा रहे हैं। सतही जल के उपयोग का यह सस्ता एवं सुगम साधन है।

कूपों को गहरा करना

पूर्व निर्मित कूपों की जल-धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्लास्टिंग द्वारा कूपों को गहरा किया जाता है। इस प्रकार की सुविधा मण्डल के जालौन जनपद को छोड़ कर शेष सभी जनपदों में उपलब्ध है। इस कार्य पर शासन द्वारा अनुदान भी देय है।

ब्लास्टिंग के अतिरिक्त कूपों की दीवारों में क्षैतिज बोरिंग करके भी उनकी जल-धारण क्षमता बढ़ाई जाती है।

गहरी बोरिंग

जालौन, बांदा एवं हमीरपुर जनपद के मैदानी भागों में गहरी बोरिंग हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक रिंग मशीन उपलब्ध

कराई गई है। इस मशीन द्वारा 500 मीटर गहरी बोरिंग की जा सकती है।

झांसी एवं बांदा जनपद के पठारी भागों में गहरी बोरिंग करने के लिए क्रमशः एक डी० टी० एच० रिग एवं एक डी० सी० युक्त डी० टी० एच० रिग उपलब्ध हैं।

झांसी, बांदा, हमीरपुर के पठारी भागों में 50 मीटर तक गहरी बोरिंग करने हेतु इन जनपदों में इनबैल रिग भी उपलब्ध है। यह रिग मशीन कूप के अन्दर भी जाकर उनकी तली से नीचे बोरिंग करती है। इस प्रकार इस रिग मशीन से कूपों में भी बोरिंग करके उनकी क्षमता बढ़ाई जाती है।

इन रिग मशीनों द्वारा अब तक कुल 150 बोरिंग सम्पादित किए जा चुके हैं।

इन यंत्रों द्वारा अब तक बोरिंग करने में एक कठिनाई यह है कि प्रायः बोरिंग असफल होती रहीं, जिससे शासन एवं कृषकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वर्ष 1983 में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी की शाखा झांसी में स्थापित की गई है। जो इस मण्डल के प्रत्येक जनपद में बोरिंग हेतु पिन प्वाइंट का निर्धारण करती है। एजेन्सी का कार्य अत्यंत ही संतोषप्रद एवं उत्साहवर्धक है। इसकी स्थापना इस मण्डल के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है।

ऋण व अनुदान

लघु सिंचाई विभाग के सामान्य कार्यक्रम जैसे—सिंचाई कूप, रहट, पम्पसैट, इत्यादि कार्यों पर प्रत्येक जनपद में भूमि विकास बैंक एवं व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषकों को दीर्घकालिक ऋण की सुविधा के साथ-साथ अनुदान की भी व्यवस्था शासन द्वारा सुलभ कराई गई है।

भारी रिग मशीनों द्वारा बोरिंग कराकर नलकूप निर्माण करने पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा 30 हजार रु० जो भी कम हो अनुदान देय है।

प्रधानमंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहला सूत्र हर खेत के लिए पानी की व्यवस्था करना है। बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एवं यहां के निवासियों का जीवन-स्तर उठाने के लिए परम् आवश्यक है कि आवश्यक कृषक अपने खेत में सिंचाई के साधन का निर्माण करें। इन कार्यक्रमों की विस्तारपूर्वक जानकारी एवं कार्यान्वयन के लिए अपने विकास खण्ड के ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) से सम्पर्क करें। उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो जनपदों के विकास कार्यालयों में कार्यरत सहायक अभियन्ता, (लघु सिंचाई) से सम्पर्क करके समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। □

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उ० प्र०
झांसी वृत्त, झांसी

मेरा गांव

सुरेश विमल
जी० 336, नौरोजी नगर,
नई दिल्ली-110029

जल में जैसे कमल मनोरम,
खिले इस तरह मेरा गांव !
शुक्ल-पक्ष में जैसे चंदा,
हंसे इस तरह मेरा गांव !!

पुरुष बनें अवतार विष्णु का
नारी में हो मूर्त लक्ष्मी,
श्रम के प्रेरक बनें सूर्य,
दें देवी शारदा ज्ञान-रश्मि।

वर्षा में ज्यों ताल, सुखों से
भरे इस तरह मेरा गांव !

रुग्ण कभी रहे न कोई
निगले न किसी को कभी क्षुधा,
सुख-दुख में सब हों एक ठौर,
छलकायें मिल-जुल स्नेह-सुधा।

ज्यों बसंत में प्रकृति, चाव से
सजे इस तरह मेरा गांव !

लगे अन्न का ढेर
न सिमटे इतना उपजे,
श्वेत-क्रान्ति हो यूं कि
दूध को कोई न तरसे।

बापू का सपना हो पूरा, कुछ
बने इस तरह मेरा गांव !

मध्यप्रदेश में भूमि सुधार की दिशाएं

केदारनाथ गुप्त

नए मध्यप्रदेश के गठन के शुरू के वर्षों में भूमि सुधार के बारे में जो वैधानिक कदम उठाए गए थे, उनसे भू-स्वामियों के संबंध में बड़ा परिवर्तन परिलक्षित हुआ और मध्यप्रदेश में गरीब किसानों को राहत मिली। अब राज्य सरकार ने इन गरीबों को निजी जमीन के भूखण्डों का स्वामित्व प्रदान किया है जिन पर उन्होंने अपने मकान बना लिए हैं।

इसी तरह के भू-स्वामित्व अधिकार उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी प्रदान किए गए जिन्होंने खाली पड़ी शासकीय जमीन पर अपने मकान बना लिए थे। इस प्रकार उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही से मुक्त किया गया।

इस कार्यवाही से मध्यप्रदेश में लाखों खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचा। इस कानून में इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि इन खेतिहर मजदूरों को उनके घर द्वारों से बेदखल किया जाता है तो वे न केवल उन्हें वापस कर दिए जाएंगे वरन् उस व्यक्ति से उन्हें मुआवजा भी दिलाया जाएगा जिसने उन्हें बेदखल किया है। चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने की इस कानून की मंशा है, अतः इन्हें अर्जी लगान अपील करने, रिवीजन आदि के लिए कोर्ट फीस से मुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत् कृषि भूमि पर दिए गए स्वामित्व के आधार के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी किसान अपनी जमीन के पूर्णरूप से मालिक हो गए हैं।

वर्तमान सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके महत्व गैर आदिवासियों द्वारा धोखा-धड़ी से हड़पी भूमि को उनके असली मालिकों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को वापिस कर दिया गया। कानून में इस बात की व्यवस्था की गई है कि गैर-आदिवासी की इस प्रकार हड़पी गई जमीन की सूचना राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को अनिवार्यतः देनी होगी कि यह जमीन उसके अधिकार में किस प्रकार आई। यदि वह इस प्रकार की जानकारी नहीं देता तो यह भूमि या जमीन के वास्तविक स्वामी अथवा उसके उत्तराधिकारी को अपने आप वापिस हो जाएगी।

साथ ही यदि राजस्व अधिकारी यह देखता है कि किसी आदिवासी से प्राप्त की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है तब वह ऐसी जमीन को उसके वास्तविक मालिक अथवा उसके वारिस को वापिस दिला सकता है। इस प्रकार की जमीन जिसके पास है और वह ऐसी जमीन का संबंधित व्यक्ति को कब्जा नहीं देता तो उसे गिरफ्तार कर तीन माह की सजा दी जा सकेगी। चूंकि आदिवासियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपने दावे के लिए दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, भू-अर्जन को सिद्ध करने की जवाबदारी जमीन कब्जा करने वाले गैर आदिवासी पर रखी गई है।

आदिवासी बहुत क्षेत्रों में सिविल कोर्ट को आदिवासियों की जमीन वापिस दिलाए जाने के मामले में स्थगन आदेश पारित करने से वंचित किया गया है। कानून विवादों से आदिवासियों की रक्षा के लिए उनके जमीन से मामलात में संबंधित निर्णयों के विरुद्ध केवल एक ही अपील की व्यवस्था की गई है।

विधानसभा के विगत सत्र में मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा संशोधन (विधेयक पारित हो गया है। इस कानून के तहत् मध्यप्रदेश कृषि सीलिंग से प्राप्त होने वाली अधिशेष भूमि जब भूमिहीनों को पट्टे पर दिए जाने के बजाय भूस्वामित्व के हक के साथ दी जाएगी और पूर्व जिन्हें दस या पन्द्रह वर्ष के पट्टे दिए गए थे उन्हें भी भूमि स्वामी बना दिया जाएगा। यह संशोधन सरकार द्वारा ग्रामीणों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के हित में की गई पहल की एक कड़ी है।

भू-राजस्व संहिता में किए गए एक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब को बंटित कृषि योग्य जमीन भूमि स्वामी का अधिकार दिया जाएगा और जहां आबंटित व्यक्ति आदिवासी है वहां उसे जमीन के मामले में संहिता की संबंद्ध धाराओं के तहत् वादी नहीं बनाया जाएगा।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि उसे कोर्ट-कचहरी में उपस्थित होने के झंझट से और परेशानियों से बचाया जा सके।

ऐसे मामलों में जहां आदिवासियों से हड़पी गई जमीन पर भवन निर्मित है और इस प्रकार की जमीन को उसे वापिस दिलाना संभव नहीं है, उस हालत में आदिवासी को जमीन की वर्तमान कीमत और उसके विक्रय मूल्य के अन्तर की राशि भी दिलाई जाएगी, फिर यदि भवन का निर्माण 1 जनवरी 1984 के बाद किया गया है तो यह भवन उस जमीन के आदिवासी मालिक को बिना किसी मुआवजे के दिया जाएगा।

पिछले कुछ समय से भूमिहीन, गरीब ग्रामवासियों को सरकारी और सीलिंग की अतिशेष जमीन पट्टे पर पन्द्रह साल के लिए दी जाती रही थी। चूंकि ये लोग पूर्ण रूप से उसके मालिक नहीं होते थे इस कारण उन्हें वित्तीय संस्थाओं से कर्ज और अग्रिम आदि लेने में कठिनाई होती थी और वे साधनों से वंचित रहते थे जिससे वे इस जमीन को विकसित कर उसे कृषि योग्य बना लेते। इस स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में समस्त सरकारों और सीलिंग की अतिशेष को भू-स्वामी अधिकारी के साथ आबंटित करने का निश्चय किया है। यह भी निश्चित किया गया है कि केवल वही जमीन आबंटित की जाएगी जो अतिक्रमण रहित होगी और आबंटियों को कब्जा दिलाने में कोई दिक्कत न हो इस दृष्टि से वह व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी दशा में राजस्व अधिकारी इस आबंटन पर स्थगन दे सकेंगे।

राज्य की अर्थव्यवस्था में संलग्न सबसे बड़े श्रम-समुदाय अर्थात खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन जनवरी 1982 में पांच रुपये

से बढ़ाकर सात रुपये प्रतिदिन किए गए और पहली बार ये वेतन मूल्य सूचकांक से जोड़े गए जिससे कि मुद्रास्फीति का उन पर प्रतिकूल असर न हो सके। खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान स्वाभाविक रूप से होता है यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिनियम लागू करने के अधिकारी राजस्व और विकास अधिकारियों को भी दिए गए तथा श्रम-निरीक्षकों जिनके पास ये अधिकार हैं उनकी संख्या इस कार्य के लिए बढ़ा दी गई।

पूर्ववर्ती विन्ध्यप्रदेश के जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत बड़े भूमि स्वामियों द्वारा जिनके पास निर्धारित सीमा में निजी खेती की जमीन नहीं थी उनके द्वारा सरकारी जमीन लेने के संबंध में आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इस अधिनियम को ही रद्द कर दिया गया है।

कृषि जोतों संबंधी अधिकारों को नियमित करने की दृष्टि से जब भू-राजस्व संहिता बनाई गई और कृषि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई तो गैर कृषि जोतें, जो अधिकांशतः जागीरदारों के पास थीं इस संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आने से बच गईं। इसके परिणामस्वरूप काफी बड़ी जमीनों के मालिक अनेक लोग बने रहे। इस स्थिति को दूर करने की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1982 में ऐसी गैर कृषि जमीन की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए जनवरी, 1981 में ही एक अध्यादेश जारी किया जो अधिनियम बना और जमीन की यह उच्चतम सीमा और कम की गई।

पिछले तीन वर्षों के थोड़े से ही समय में मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसे प्रगतिशील कानून बनाए हैं कि जब उनका प्रभाव शुरू होगा तो वे ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक संबंधों में दीर्घगामी परिवर्तन लाएंगे।

दृष्टिकोण में परिवर्तन आने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगेगा तथापि इन उपायों के पूरे प्रभाव से, मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अधिक समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने में निश्चय ही सहायता मिलेगी। □

गुप्ता भवन,
1505, नेपियर टाउन, जबलपुर,
म० प्र०

ग्रामीण विद्युतीकरण

देश में बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण के फलस्वरूप कृषि एवं अन्य विकासशील क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। बहुत बड़े क्षेत्रों में सिंचाई, खाद्य उत्पादन एवं पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रामीण उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि हुई और रोजगार के लिए अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुए।

हाल में किए गए आकलन के अनुसार लगभग 46 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में पम्पिग सैटों से सिंचाई का प्रबन्ध होने के कारण लगभग 212 लाख टन खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी हुई है। पम्पिग सैटों के ऊर्जायन एवं ग्रामीण उद्योगों में प्रगति आने से क्रमशः 142 करोड़ टन अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई और 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला।

यदि पूर्ण रूपेण सोचा जाए, तो ग्रामीण विद्युतीकरण–निगम ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए जिम्मेदार है। विद्युत बोर्ड एवं अन्य संस्थाओं को इनके द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1969 के प्रारम्भ से ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 8,000 से अधिक परियोजनाओं की 2,500 करोड़ रुपये की बचनबद्ध पूंजी की स्वीकृति दी गई थी। इन योजनाओं में लगभग 2.69 लाख गांवों में विद्युतीकरण करने एवं 26 लाख सिंचाई के लिए पम्पिग सैटों के ऊर्जायान करने की परिकल्पना की गई थी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने देश के प्रत्येक जिले के कम से कम 25 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण करने के लिए कदम उठाया। वर्ष 1982–83 की अवधि के अंत तक केवल 31 जिले बच गए थे, जिनमें 25 प्रतिशत से कम विद्युतीकरण किया जा सका था।

देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण करने एवं प्रधान मंत्री के आर्थिक सामाजिक प्राथमिकता क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विशेष तौर पर समाज के पिछड़े इलाकों और कमजोर वर्गों के निवासी वाले क्षेत्रों में विद्युतीकरण प्रारम्भ किया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधीन कार्यक्रमों में 73 प्रतिशत बजट की स्वीकृति केवल पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के लिए थी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के 82 प्रतिशत गांव थे और सिंचाई संबंधी पम्पिग सैटों की कुल संख्या 76 प्रतिशत है। 67 प्रतिशत गांव, 57 प्रतिशत पम्पिग सैट, 50 प्रतिशत गृह विद्युत कनैक्शन एवं 49 प्रतिशत औद्योगिक कनैक्शन पिछड़े क्षेत्रों में कराने का लक्ष्य था।

आदिवासी पहाड़ी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विकास हेतु अधिक प्रगति लाने की दृष्टि से विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछड़े इलाकों में विद्युतीकरण के लिए 3,702 परियोजनाओं के लिए लगभग 370 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के लिए 617 परियोजनाओं के लिए 34.45 करोड़ के ऋण की स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना से 34,214 हरिजन बस्तियों में से अब तक 27,886 बस्तियों में विद्युतीकरण किया जा सका है।

कार्यक्रम के नए ढांचे और संगठित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दो अलग-अलग कार्यक्रम सम्मिलित हैं, जैसे—आन्तरिक कार्यक्रम एवं अवलंबन कार्यक्रम। आन्तरिक कार्यक्रम में—गांवों का विद्युतीकरण, पम्प-सैट लगाना आदि विघटन कार्यों को बढ़ावा देना सम्मिलित है। अवलम्बन कार्यक्रमों में उप-संचरण, सहायता पहुंचाना, विद्युत भार में प्रगति, ऊर्जा-संरक्षण, जनशक्ति में प्रगति लाना एवं उन्हें प्रशिक्षण दिलाना सम्मिलित है। □

कितनों के आंसू पोंछे कितनों के जीवन में उल्लास भरा

प्रभात कुमार सिंघल

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 14 जनवरी, 1982 को मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल आदि त्योहारों के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने संदेश में विकास की समग्र योजना को ध्यान में रखकर कुछ विशेष मुद्दों पर जोर देने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए देश में उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देने की अपील की थी और 'सत्यमेव जयते' एवं 'श्रम एव जयते' जैसे आदर्श वाक्यों का अनुसरण करते हुए देशवासियों के सम्मुख आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु नया बीस सूत्री कार्यक्रम रखा था। और कड़ी मेहनत से प्रगति एवं समृद्धि प्राप्त करने का उद्बोधन किया था। सारे देश में उसके सुखद परिणाम निकले हैं। यहां पर इस विषय पर कोटा जिले से प्राप्त एक ब्यौरा प्रस्तुत है।

बीस सूत्री कार्यक्रम को जिला स्तर पर निष्पादित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करके मुख्यमंत्री ने उसकी सफल क्रियान्विति का भार सूत्रों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर उन्हें सौंपा और साथ ही जिला प्रशासन से अपेक्षा की कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू करें जिससे समाज के निर्धनतम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

जिला प्रशासन के राज्यमंत्री तथा सांसद, जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधानों एवं सरपंचों व अन्य जन-प्रतिनिधियों के अपेक्षित रुचि एवं सहयोग ने कोटा जिले में इस कार्यालय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकास के रचना चिन्तन पर विपक्षी जनप्रतिनिधियों की राय का भी पूरा सम्मान किया गया। सभी के सहयोग व समन्वय का परिणाम ही 20 सूत्री कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन रहा।

पोखर लाल एक हाली ग्राम बमोरी तहसील सुल्तानपुर का रहने वाला है। छोटा-मोटा काम, उदर पूर्ति भर कर पाता था। जैसे-तैसे जीवन की गाड़ी चला रहा था। भाग्य जब पलटा तो सरकार ने खेती योग्य पांच बीघा जमीन का मालिक बना दिया। खेती के लिए बैल जोड़ी भी दिलवाई। पिछले वर्ष गेहूं बोया। सिंचित नहर का पानी खेत में उंचेला तो भाग्य चमक उठा और पचास मन गेहूं काटा। पोखर लाल जैसे अनेक भूमिहीनों को सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सीलिंग से प्राप्त करीब छह सौ एकड़ जमीन दी।

पोखर लाल के साथ ही इब्राहिम, लुकमान व धनराज जैसे लघु एवं सीमान्त कृषकों की भूमि को सिंचित करने के लिए जिले की तहसील सांगोद के अमृत खेड़ी गांव में नवीन प्रयोग, हाइड्रम सिंचाई योजना का किया गया। 60 हजार रु० लागत वाली इस योजना का लाभ 43 बीघा भूमि को मिला।

गत तीन वर्षों में कुंओं, बांधों, चंबल की नहरों एवं जलोत्थान द्वारा 7,742 हैक्टेयर भू-भाग में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई।

अधिक सिंचाई क्षमता के कारण 370 हजार हैक्टेयर भूमि में दलहन, 250 हजार हैक्टेयर भूमि में तिलहन तथा 104 हजार हैक्टेयर भूमि से अधिक में अन्न का उत्पादन किया गया।

सूरज मल ग्राम मवासा ढाणी तहसील लाडपुरा का रहने वाला है यह और इसके भाई रामकिशन व राम चरण तीनों छोटा-मोटा काम कर अपना गुजर-बसर करते थे। सरकार ने सूरज को बैल जोड़ी दी। आज वह प्रसन्न है। जहां वह पहले हाली का काम करता था आज पांती-पूली कर पैदावार में भी हिस्सेदार बनने लगा है। उसके दोनों भाइयों को भी सरकार ने भैंसे दी हैं, स्वयं का दूध खर्च निकाल कर दूध बेच कर दो सौ रुपये महीना तक पा रहे हैं। इसी गांव का शंकर लाल भी बैल जोड़ी पा कर खुश है।

इन जैसे अनेक परिवारों को जो कभी गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन करते थे सरकार ने पिछड़े को पहले लाने का संकल्प किया और कृषि

व पशुपालन तथा स्वरोजगार कार्यक्रमों से लाभ देने की योजना चलाई। आर्थिक उत्थान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पिछले तीन वर्षों में 21 हजार 712 परिवारों को कृषि एवं पशुपालन कार्यों पर 4 करोड़ 65 लाख से अधिक रुपये के ऋण व अनुदान उपलब्ध कराए।

ग्रामीण बेरोजगार युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम में पिछले तीन माह में 3 हजार 855 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 3428 युवकों को रोज़गार साधन सुलभ कराकर आत्मनिर्भर बनाया। साथ ही निर्धनतम 18,266 परिवारों को पिछले तीन वर्षों में निःशुल्क भू-खंड आवास हेतु कमजोर वर्ग के लोगों को वितरित किए गए।

श्रीकृष्ण गांव मंडाना तहसील लाडपुरा का रहने वाला है। इन्होंने सरकार से ऋण ले कर बाजार से बनी जूतियां ला कर बेचने का व्यवसाय प्रारंभ किया। पिछड़े को पहले के तहत सैंट्रल बैंक की मंडाना शाखा ने वर्ष 1982 में 45 सौ रुपये का ऋण दिया। उसने अल्प समय में बैंक को 35 सौ रुपये वापस भी कर दिए हैं। इसी के समान दीन दयाल ने किराये पर साइकिलें चलाने एवं मरम्मत के लिए 1500 रुपये का ऋण लिया। इनको 10 रु० प्रतिदिन आय होती है और इस प्रकार अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं निकाल कर गरीब माता-पिता पर भार नहीं बनते। 75 रु० प्रतिमाह बैंक की किश्तें भी जमा करा रहे हैं।

गोबर गैस

केला बाई बमोरी की रहने वाली है। एक दिन चूल्हे में लकड़ी जलाते-जलाते खींज उठी तो उस दिन पति प्रभुलाल को ऐसा सूझा कि रोज-रोज के चूल्हा फूंकने से मुक्ति दिला दो। पिछले दो वर्षों से यह गोबर गैस के चूल्हे पर अपने परिवार का खाना पका रही है। केला बाई जैसे तीन सौ सैंतीस परिवारों को पिछले तीन वर्षों में गोबर गैस संयंत्र से खाना पकाने की सुविधा से लाभ उठा रहे हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में भी होने लगा है।

प्रयासों की कड़ी में ऊर्जा के सशक्त विकल्प के रूप में 3.12 लाख रुपये की लागत वाला 60 एवं 25 घन मीटर की क्षमता वाले दो ड्रम वाला सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र लगभग बन कर पूर्ण हो चुका है। इससे ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा के 65 परिवारों को खाना पकाने के लिए गैस तथा बिजली मिलने लगेगी।

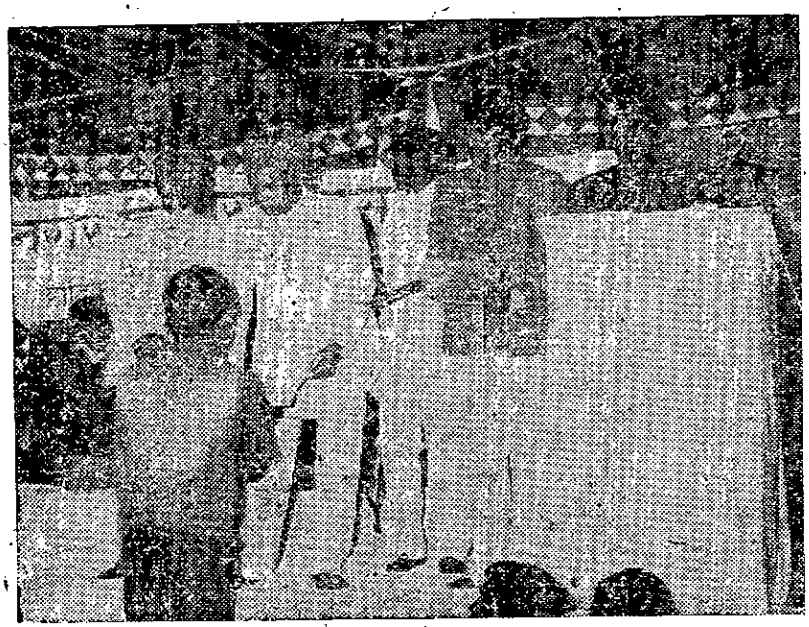

गरीब को छप्पर के तहत् पट्टा वितरण करते हुए खेल राज्य मंत्री श्री राम किशन वर्मा

पिछड़े वर्ग को लाभ

अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए तीन उप खण्डों छबड़ा, छोपाबडोद तथा पोपल्दा व दीगोद में क्षेत्रीय विकास योजना (माडा) के तहत् वर्ष 1976 से मार्च 1984 तक शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, सिंचाई, वन तथा व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर 152 गांवों के परिवारों को 21 लाख 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता विशेष रूप से दी गई। योजना के लिए 41.71 लाख रु० का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1983–84 में 6448 अनुसूचित परिवारों को विविध प्रकार से लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जाति के उत्थान की इस विशेष योजना में पंचायत समिति लाडपुरा एवं खैराबाद में 2 उपखंड इसी वर्ष स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सुविधाएं उपलब्ध कराने व व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर क्रमशः 5.39 एवं 7.80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

बंधुआ मुक्ति

एक समय था जब मामोजी ग्राम का रहने वाला फतरू यूं ही मारा-मारा फिरता था। न रहने का ठौर-ठिकाना और न करने को काम। इन दिनों की याद कर वह बताता है, "अब वह दिन गए जब गुलामी की तरह लगना पड़ता था। आज मेरे पास मेरा मकान है, पालने को बकरी, जोतने को भूमि और बैल। भला हो सरकार का, आज मैं फूला नहीं समाता जब मेरी झोपड़ी भी सरकार ने बना दी।" फतरू जैसे तीन साथी बन्धुआ प्रसन्न हैं, जिन्होंने सरकार की सहायता से अपना घर बनाया है।

कोटा जिले में बंधुआ मुक्ति के प्रयास 1975-77 में किए गए थे। उस समय

तीन-तीन सौ रुपये की तत्काल सहायता दी गई थी। मुक्त कराए गए कुछ श्रमिक तो रोजगार हेतु बाहर चले गए तथा शेष 2376 परिवारों के पुनर्वास पर प्रति परिवार चार-चार हजार रुपये तक की सहायता आवास एवं रोजगार साधन जुटाने पर व्यय करने का प्रावधान है।

अब तक 985 बंधुआ श्रमिकों को चार हजार रुपये, 202 श्रमिकों को 2500 रु० प्रति परिवार, 552 को 1500 से 2500 रु० तक तथा 514 को 300 से 1500 रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई गई।

वर्ष 1983-84 में आवास सुविधा के लिए 172 बंधुआ श्रमिकों को प्रथम किश्त, 383 बंधुआ श्रमिकों को दूसरी तथा 475 को तीसरी किश्त के रूप में कुल पांच लाख 20 हजार रुपये तथा 108 श्रमिकों को एक लाख 20 हजार रुपये बैलगाड़ी, बैलजोड़ी आदि के लिए सुलभ करा कर आत्मनिर्भर किया गया।

रोजगार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के तहत् वर्ष 1981-82 से मार्च 1984 तक कुल स्वीकृत 940 निर्माण कार्यों में से 235 कार्य पूर्ण हुए जिन पर 65 लाख 70 हजार रुपये व्यय किए गए। 290 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। तीन वर्षों में 402 लाख मानव श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस हेतु पंचायत समितियों को कुल 72.36 लाख रुपये की धन राशि आबंटित की गई।

सीमित परिवार

चेतू ग्राम खुशहालपुरा तहसील शाहबाद (आदिवासी क्षेत्र) का रहने वाला है। वह बताता है, "गांव में तीन-चार परिवारों को छोड़ सभी ने आपरेशन करा कर परिवार नियोजन अपना रखा है।" यहां गांव में प्रति परिवार बच्चों का औसत पांच है। इसका कारण पूछने पर एक अन्य परिवार का मुखिया गंगा बताता है, "यह सब तो पहले होता था, आज तो समय पर आपरेशन करा लेते हैं।"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में निर्मित शाला भवन

जन चेतना की जागृति एवं प्रयासों का परिणाम निकला कि चेतू व गंगा जैसे 17 हजार 750 परिवारों ने पिछले तीन वर्षों में आपरेशन करा कर सीमित परिवार का आदर्श स्थापित किया है। 2116 लूप प्रविष्टियां की गईं तथा 9.92 लाख निरोध वितरित किए गए।

संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 183 उप केन्द्र संचालित हैं। इनमें से 20 उप केन्द्र वर्ष 1983-84 में खोले गए।

पीने को पानी

जिले में मार्च 1984 तक 806 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराकर 61.65 प्रतिशत गांवों को पेयजल सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। पिछले तीन वर्षों में 360 गांवों को पेयजल सुविधा से जोड़ा गया। मार्च 1984 तक 693 गांवों में 1761 हैण्ड पम्पों के माध्यम से पेयजल सुलभ करा कर के लाभ पहुंचाया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण

जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं पर मार्च 1984 तक 7.79 करोड़ रुपये व्यय कर 1116 गांवों को एवं 6113 कुओं को बिजली दी गई। वर्ष 1971 की जन संख्या के अनुसार 52.26 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। इन योजनाओं पर 10.79 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया था।

पिछले तीन वर्षों में 290 गांवों एवं 1023 कुओं को विद्युतीकृत किया गया। दूर-दराज के गांवों को बिजली पहुंचाने में प्राथमिकता दी गई।

प्रौढ़ शिक्षा में प्रथम

"पढ़ने का लाभ बहुत होता है। पढ़-लिख कर ससुराल जाए तो दुख-सुख की चिट्ठी-पत्री तो डाल दे, वरना दूसरे के बिसर हो जाएं।" यह विचार तस्वीर बाई के हैं जो ग्राम दरबीजी, तहसील सुल्तानपुर के महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर नियमित पढ़ने आती हैं।

कोटा जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में गत वर्ष राजस्थान में प्रथम रहा। पिछले पांच वर्षों में 7 हजार 932 महिलाओं को साक्षर किया गया। जिले में अब तक 59 हजार प्रौढ़ों का नामांकन किया गया तथा 27 हजार 725 प्रौढ़ों को साक्षर किया गया है।

बालिका नामांकन में द्वितीय

बालिका नामांकन में कोटा जिला वर्ष 1983-84 में दूसरे स्थान पर रहा। 6 से 11 वर्ष आयु की 67 हजार 172 तथा 11 से 14 वर्ष आयु की

13 हजार 316 बालिकाओं का नामांकन किया गया। गत तीन वर्षों में 99 प्राथमिक शालाएं खोली गईं, बीस को उच्च प्राथमिक में तथा 5 को उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया।

वृक्षारोपण

ग्राम बमोरी के सरपंच मांगी लाल ने अपने खेत की 5 बीघा भूमि पर 13 हजार यूकेलिप्टिस, गुलमोहर, सुबबूल व शीशम के वृक्ष लगाकर फार्म फोरेस्ट्री को बढ़ावा दिया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के गत तीन वर्षों में 64.23 लाख वृक्ष लगाए गए।

गरीब को छप्पर

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नगर विकास न्यास द्वारा 550 आवासीय भवन बना कर उपलब्ध कराए गए। राजस्थान आवासन मंडल कोटा द्वारा गत तीन वर्षों में 8 हजार में अधिक मकान निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया तथा पांच हजार मकानों का कब्जा भी दिया जा चुका है।

गन्दी बस्ती सुधार के तहत 1038 मकान विभिन्न योजनाओं में बनाए गए।

वर्ष 1981-82 से मार्च 1984 तक विगत तीन वर्षों में किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि सरकार के महत्वपूर्ण बीस सूत्री कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आने लगा है। जहां परिवारों को रहने के लिए मकान मिला वहां रोजी-रोटी के साधन भी उन परिवारों को मिले हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के गतिशील क्रियान्वयन के लाभों के अतिरिक्त विगत तीन वर्षों में कोटा थर्मल से विद्युत उत्पादन का प्रारंभ तथा निर्धारित लक्ष्य से अधिक विद्युत उत्पादन, वायु सेवा, दूरदर्शन का लाभ भी मिला तथा इंजीनियरिंग कालेज खुला। साथ ही पंचायत संस्थाओं का प्रभावशाली बनना सरकार का लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास का प्रमाण है।

सहायक जन सम्पर्क अधिकारी,
के० आर० 520,
माला रोड,
कोटा (राजस्थान) 324001

सफलता की कहानी मूलचन्द की जुबानी

गरीबी मिटाने के लिए खुद गरीब को भी कुछ करना होगा

मेरा नाम मूलचन्द है। मैं ग्राम हरराम पुर जनपद इलाहाबाद का निवासी हूं। मेरे पिता का नाम श्री राम फेरा है। मेरे पिता बहुत गरीब हैं जिसके कारण वह मुझे ठीक से पढ़ा लिखा न सके। मुझे अपने क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी से मालूम हुआ कि कम पढ़े लिखे गांव के लड़कों के लिए प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र प्रताप गढ़ में फार्म मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने फार्म मैकेनिक का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। इस प्रशिक्षण से मुझे डीजल इंजन मरम्मत का कार्य, विद्युत मोटर के मरम्मत का कार्य एवं कृषि यंत्रों के निर्माण कार्य को जानकारी हुई। प्रशिक्षण अवधि में मुझे छात्रवृत्ति एवं रहने के लिए निःशुल्क आवास भी मिला।

प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद मुझे मेरे कार्य की योग्यता एवं परिश्रम के कारण विकास खण्ड काला कांकर में बोरिंग मैकेनिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पद पर मैंने एक वर्ष तक कार्य किया। मुझे कार्य सीखने की लगन के कारण प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र काला कांकर (प्रतापगढ़) की कार्यशाला में कार्य मिल गया। इस प्रशिक्षण केन्द्र पर मैंने डीजल इंजन, पम्पसेट एवं अन्य गाड़ियों की मरम्मत के कार्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली।

सरकारी नौकरी में वेतन कम मिलता था और परिवार का खर्च अधिक था अतः मैंने केन्द्र के निकट आलापुर में एक छोटी सी दुकान खोल ली। इस दुकान पर मैं डीजल इंजन, मोटर साइकिल पम्पसैट, विद्युत की मोटर एवं जीप आदि गाड़ियों की मरम्मत का कार्य करने लगा। मेरी मेहनत एवं ईमानदारी के कारण बहुत दूर-दूर से लोग काम कराने आने लगे।

मैंने कार्य बढ़ने के साथ-साथ अपने सहायक को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। आज मेरी दुकान पर चार आदमी काम करते हैं। मैं आज अपनी दुकान पर वैल्डिंग सेट मरम्मत, पम्पसेट मरम्मत, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पावर थ्रेशर मरम्मत का कार्य बड़ी निपुणता के साथ कर रहा हूं।

मेरे परिवार में आज सभी प्रकार की सुख सुविधा हैं। मैं अपने इस जीवन के बदलाव में प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्बलवर्ग के लोगों की मदद एवं प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र का प्रशिक्षण एक वरदान मानता हूं जिसने मुझे भयंनक गरीबी से मुक्ति दिलाई।

मेरा नए युवकों के लिए सुझाव है कि देश की गरीबी, अकेले सरकारी प्रयास से दूर नहीं हो सकती वल्कि स्वयं गरीबों को भी समान रूप से भागीदार बनना होगा। □

प्रकाशन अधिकारी
कार्यालय आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश

वीरशाहपुर की वीरता भी जानें

* सूर्यकांत त्रिपाठी

मिर्जापुर (उ० प्र०) जिले के मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है वीरशाहपुर, परसों वहां चलना है रिकार्डिंग करने यह सूचना आकाशवाणी, वाराणसी, से प्राप्त हुई थी। नियत तिथि को सुबह आठ बजे हमारी जीप ने वाराणसी शहर को नमस्कार कह दिया और फर्राटे भरने लगी। लगभग दो घण्टे की लगातार यात्रा के बाद हम मिर्जापुर जिला मुख्यालय पहुंचे। अब वहां पता करना था कि वीरशाहपुर कैसे पहुंचा जा सकता है? संयोग ऐसा कि शहर के एक वरिष्ठ पशु-चिकित्सक जो पूर्व परिचित थे, मिल गए। उन्होंने वीरशाहपुर पहुंचने का रास्ता नक्शा बताकर समझा दिया। शहर के बाहर निकलने पर गंगा के किनारों से हमारा सामना हुआ, कुछ देर बाद ड्राइवर ने जीप बाएं एक पतली निर्जन सी सड़क पर मोड़ दी। दोनों पर धान की हरी फसल थी तथा समानान्तर एक नहर भी चल रही थी। हमें क्या पता था यह नहर हमारा साथ वीरशाहपुर तक देगी। दो-तीन किलोमीटर बाद हम वीरशाहपुर गांव में पहुंच गए। गांव की पक्की गली में हमारी जीप घुसती चली गयी, आगे तिराहे पर ग्राम प्रधान का घर पूछा। एक गांववासी हमारी जीप पर आ गया और लगभग पांच मिनट बाद हम प्रधान जी के घर के सामने उतर रहे थे। वहां पर ग्राम प्रधान तथा एकत्र ग्रामवासियों ने लपक कर हमारा स्वागत किया। भारतीय आतिथ्य परम्परा के अनुसार आगन्तुकों का ग्रामीणों ने स्वागत किया।

कुछ देर के विश्राम के बाद हम गांव के लोगों से मिलने-जुलने तथा बातचीत करने चल दिए तथा मैं लोगों से बातचीत कर गांव की सामाजिक-आर्थिक दशा की जानकारी प्राप्त करना चाहता था। सबसे प्रधान आकर्षण था—शहर से गांव तक की पतली सड़क जिसे जनशक्ति के सहयोग से शासन ने निर्मित किया था। यह वीरशाहपुर के लोगों की वीरता का प्रतिफल है कि अब शहर से वीरशाहपुर तक नगर बस सेवा (सिटीबस) की सुविधा उपलब्ध है। यह विद्यार्थियों, दस्तकारों, ग्रामीण शिल्पियों, बाजार जाकर उत्पादन बेचने वालों तथा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हुई है। सड़क का ही चमत्कार है कि छात्र ही नहीं छात्राएं भी शहर में उच्च-शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी—वह थी गांव में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा। ग्राम प्रधान श्री वाचस्पति ने बताया की साढ़े पांच हजार की आबादी वाले इस गांव में 18 निजी नलकूप, एक शासकीय नलकूप तथा गंगा नहर, जिसका उल्लेख पहले कर चुका हूं, सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। गांव में जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा की सुविधा है इसे जल्दी ही उच्चतर माध्यमिक कर दिए जाने की संभावना है। ग्राम प्रधान के घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र है, जहां ए० एन० एम० समय-समय पर आकर दवाइयां आदि वितरित करती है।

आपसी सद्भाव और सहयोग से क्या नहीं हो सकता वीरशाहपुर गांव सभा ने युवकों में खेल-प्रेम को और बढ़ाने के उद्देश्य से डेढ़ एकड़ जमीन खेल के मैदान के रूप में विकसित करने का निश्चय किया है। अभी जो खेल का मैदान है वह पूरे वर्ष खाली नहीं रहता, उसमें खलिहान भी होता है।

शिक्षा के मामले में भी यहां के लोग बहादुर सिद्ध हुए हैं। इस गांव के सपूतों में प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, अभियन्ता, अधिवक्ता, शिक्षक आदि शामिल हैं। गांव की एक बेटी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता है।

कुछ देर तक घूमने के बाद हम वापस लौटे तो लोकगीत गायकों का एक दल अपने गीत सुनाने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। कोई बता रहा था शादी-ब्याह के समय में ये लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं। दो-तीन गीत सुनने के बाद हम तीनों लोगों की वापसी का समय आ गया। कुछ ही घण्टे में वहां के लोगों की आत्मीयता ने हमें भावुक बना दिया। जीप स्टार्ट हो गई तथा धीरे-धीरे रेंगने लगी, लोग साथ चलते रहे। लगभग दो फर्लांग तक यही हाल रहा अन्त में ग्रामप्रधान ने लोगों पर नकली गुस्सा व्यक्त करके रोका कि जाने दीजिए, दूर जाना है शाम हो रही है। तब ड्राइवर को गियर बदलने का अवसर मिला और सबकी तो मैं नहीं कह सकता, मैंने भरे मन से वीरशाहपुर के वीरों को मन ही मन अलविदा कहा तथा सामने सड़क की ओर देखने लगा □

शेरपुर, नारायणपुर,
मिर्जापुर–231305

विक्रम सिंह के दिन फिरे

श्री विक्रम सिंह जिला कांगड़ा के दन्देल गांव के कबीर पंथी अनुसूचित जाति के हैं। उन पांच सदस्यों के भरण–पोषण का भार उन्हीं पर है। मेहनत मजदूरी के द्वारा बड़ी कठिनता से वह अपने परिवार का भरण–पोषण कर पाता था। सरकार द्वारा चलाए जा रहे बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने स्थानीय ग्राम सेवक से सम्पर्क किया, जिसने उनको स्थानीय विकास खण्ड अधिकारी से मिलाकर उनको 630 रुपये अनुदान तथा स्थानीय यू० को० बैंक की शाखा द्वारा 630 रुपये का ऋण दिलाया। इनसे उन्होंने फ्लाइंग शटल खड्डी खरीदी और एक दुकान 30 रुपये मासिक किराए पर लेकर अपना काम शुरू किया। सुचारू रूप से काम चलाने और अपनी मेहनत के द्वारा विक्रम सिंह की आय 200 रु० मासिक से बढ़कर 600 रुपये प्रति माह हो गई। अब उनका आराम से गुजर–बसर हो रहा है। □

बंधुआ मुक्ति—एक सर्वेक्षण

कु० सीता शर्मा

अंग्रेजों ने मुगल शासकों द्वारा स्थापित भूमि से कर लगान वसूल करने की पद्धति को, भारतीय ग्रामीण समाज के शोषण के रूप में बहुत ही चतुराई एवं कूटनीति से परिवर्तित किया। उन्होंने भूमि को बेचने योग्य माल की श्रेणी में परिवर्तित किया और स्वतन्त्र मजदूरों से खेतिहर मजदूर और फिर उसी शृंखला में बंधुआ मजदूर को जन्म दिया।

आज हमारे देश में आजादी के 37 वर्ष बाद भी ग्रामीण समुदाय का एक वर्ग रोटी के लिए जीवन एवं मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। इस वर्ग के पास न तो अपनी भूख मिटाने के लिए अनाज है, न तन ढकने के लिए कपड़ा और न ही सिर छिपाने के लिए आवास। इस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, बंधुवा मजदूर वर्ग। लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों के औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन के शोषण की भेंट आज भी गंभीर रूप से जारी है। सांप चला गया लेकिन अपनी केंचुली रूपी छाया को छोड़ गया। अर्थात् अंग्रेजों की यह देन यथावत् या उससे भी गंभीर रूप में भारत के आक्रांत ग्रामीण समाज में विद्यमान है।

अंग्रेजों ने मुगल शासकों द्वारा स्थापित, भूमि से कर (लगान) वसूल करने की पद्धति को, भारतीय ग्रामीण समाज के शोषण के रूप में बहुत ही चतुराई एवं कूटनीति से परिवर्तित किया। उन्होंने भूमि को बेचने-योग्य माल की श्रेणी में परिवर्तित किया और स्वतंत्र मजदूरों से खेतिहर मजदूरों और फिर उसी श्रृंखला में बंधुआ मजदूरों को जन्म दिया।

इस श्रेणी के लोगों के लिए तथाकथित आजादी का सुख क्या होता है, शायद उन्हें इसकी कल्पना भी न होगी, जबकि देश में आजादी के बाद से छः पंचवर्षीय योजनाएं कल्याण की कल्पना को लेकर समाप्त होने जा रही हैं। आज भी बंधुआ मजदूर की समस्या एक विकराल समस्या है, निश्चयात्मक रूप से यह धधकती हुई ज्वालामुखी है।

बंधुआ मजदूर से अभिप्राय कमजोर वर्ग के उस व्यक्ति से है, जिसे गांवों में जमींदार या साहूकार कर्ज देकर सागड़ी या बंधुआ बना लेते हैं, और उनसे दबाव डालकर कार्य करवाते हैं। इनको पूरी मजदूरी नहीं दी जाती व उन्हें अपनी इच्छानुसार और कहीं न कहीं जाने दिया जाता है।

निम्न संकेतों के आधार पर यह जांच की जा सकती है कि कोई व्यक्ति बंधक है या नहीं :—

(1) जब किसी लेनदार अथवा जमींदार से कोई व्यक्ति कर्ज ले, और उसके बदले में उसे श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

(2) ऋण नहीं चुकाने के कारण किसी व्यक्ति को साहूकार/लेनदार की सेवा के लिए बाध्य किया जाता है और अन्य जगह कार्य करने से रोका जाता है।

(3) जो लेनदार से लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में ही सेवा करने के लिए बाध्य है, और उस पर मूल कर्ज बराबर बना रहता है जो सागड़ी, हाली बंधक, श्रम पद्धति अथवा अन्य कोई रूढ़ि या परम्परा के अन्तर्गत कार्य करता है। इस प्रणाली के कारण ही अनेक किसानों की जमीन पर से अपना पुश्तैनी अधिकार हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। साहूकारों एवं महाजनों ने ही बंधुवा मजदूरों की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, क्योंकि वे कर्ज देकर खेतिहर मजदूरों एवं किसानों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, जिससे वे सदा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड लिए जाते हैं।

कृषि शाही आयोग ने इस सम्बन्ध में उचित ही कहा था कि भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही पलता है, और शेष बचा हुआ भार अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ जाता है। जमींदार एवं महाजन बहुत ही कम मजदूरी पर मजदूर प्राप्त करने के लिए खेतिहर मजदूरों और किसानों को अपने चंगुल में इस प्रकार फंसा लेते हैं कि वे बिना कुछ मजदूरी प्राप्त किए उनका कार्य करते रहे।

बंधुआ मजदूरों की दयनीय दशा:—बंधुआ मजदूरों को वास्तविक मजदूरी तो भोजन के लिए कुछ अनाज के रूप में दी जाती है जो उनका एक वक्त पेट भरने के लिए भी अपर्याप्त होता है। यदि कुछ पैसे दिए जाते हैं तो उसे दिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में समायोजित कर दिया जाता है, जो राशि ब्याज के रूप में समायोजित की जाती है, उससे ऋण की राशि के रूप में कोई कमी नहीं आती। परिणामतः ऋणी हमेशा के लिए बंधुआ हो जाता है, यदि वह शादी करता है, तो उसकी पत्नी भी महाजन के यहां नौकरानी के रूप में काम करती है जिसको कुछ भी मजदूरी नहीं दी जाती है। यदि इस पर ध्यान दिया

जाए तो पता चलता है कि बंधुआ 2.3 प्रतिशत आजीवन बंधुआ बने रहते हैं और 55.7 प्रतिशत वंशजों को लेकर अनिश्चित अवधि के लिए बंधुवा बने रहते हैं। बंधुआ मजदूर के काम करने की क्षमता 44 वर्ष की उम्र तक अधिक होती है। लगभग 60.9 प्रतिशत बंधुआ मजदूर 16 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के ही हैं। (स्रोत :—नार्दन इंडिया पत्रिका दैनिक सितम्बर, 1982)

इन समितियों के गठन एवं कर्तव्य के बारे में कानूनी प्रावधान हैं। बंधुआ श्रमिकों की शिनाख्तगी में जिला प्रशासन के अलावा जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं भी प्राप्त करने का प्रावधान है। पंच, सरपंच एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग इसमें अपेक्षित होता है।

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना :—जिलाधीश बंधुआ मजदूर को

बंधुआ श्रमिकों की शिनाख्तगी के लिए बन्धक श्रमिक पद्धति (समाप्ति) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत सतर्कता समितियों के गठन करने का प्रावधान है एवं इसके अनुसार प्रत्येक जिले में सतर्कता समितियां गठित की गई हैं, जिनकी बैठक समय-समय पर की जाती है, जिसकी कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है।

बंधुआ श्रम पद्धति समाप्ति अधिनियम एवं जुर्माना

बंधक श्रम पद्धति की समाप्ति के लिए 1976 में बंधक श्रम प्रणाली (उन्मूलन) कानून बना, उसके अधीन सभी बंधक मजदूरों को स्वतन्त्र करने के आदेश दिए गए हैं और उनके विरुद्ध यदि कोई ऋण बकाया था तो वह कानून द्वारा चुकाया हुआ माना गया। यदि कोई कुर्की या वसूली के आदेश भी जारी हुए हैं या किसी की सम्पत्ति को भी दबा लिया गया तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को वापिस लौटाई जानी आवश्यक है। इसके लिए सम्बन्धित जिलाधीश या उप-जिलाधीश को आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी बंधुआ मजदूर की सम्पत्ति नहीं लौटाई जाती है तो उस सम्पत्ति से होने वाले लाभ की वसूली करने का भी उसे अधिकार होगा। यदि इस कानून के लागू होने के उपरान्त भी लेनदार ने बंधक श्रमिक से रकम वसूल कर ली है तो वापसी के आदेश न्यायालय दे सकता है। बंधक श्रमिक अधि-नियम, 1976 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह बंधुआ मजदूर रखता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा और 2000 रु० तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

20 सूत्री कार्यक्रम का अंग :—बंधक श्रमिकों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास के कार्य को 20-सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, इससे संबंधित निर्देश समय-समय पर दिए जा चुके हैं तथा प्रत्येक जिले के जिलाधीश को यह सुनिश्चित करना है कि जिले में कोई भी व्यक्ति बंधक श्रमिकों के रूप में कार्य नहीं करे। इसके लिए उपलब्ध राजकीय कर्मचारियों का विशेष सर्वेक्षण दल गठित कर अभियान चलाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बंधक श्रमिक रखने की सूचना प्राप्त हो तो जिलाधीश को सर्वप्रथम बंधुआ श्रमिक को छुड़वाना है, और उसे पुनर्वास दिला कर, इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ करनी है।

बंधुआ श्रमिकों की शिनाख्तगी के लिए बन्धक श्रमिक पद्धति (समाप्ति) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सतर्कता समितियों के गठन करने का प्रावधान है एवं इसके अनुसार प्रत्येक जिले में सतर्कता समितियां गठित की गई हैं, जिनकी बैठकें समय-समय पर की जाती हैं जिनकी कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है।

मुक्त कराने के साथ-साथ उसके पुनर्वास की कार्यवाही भी करते हैं। बंधुआ मजदूर को पुनर्वासित करने के लिए सरकार 500 रुपये तत्काल सहायता के रूप में देती है और उसके पूर्ण पुनर्वास के लिए 4000 रुपये तक कोई भी आय का साधन दिलाया जाता है, जिससे वह अपना रोजगार चला सके और पुनः बंधुआ मजदूर नहीं बनना पड़े।

बंधक श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए निम्न प्रकार आव-श्यकतानुसार सहायता दी जा सकती है :—

	सहायता राशि (रुपये में)
(अ) शिनाख्तगी के तुरन्त बाद एकमुश्त सहायता	500.00
(ब) शिनाख्तगी के बाद प्रथम तीन माह (100 रु० प्रति माह) निर्वाह भत्ता	300.00
(स) आवासीय भवन निर्माण हेतु सहायता	1000.00
(द) बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता	500.00
(इ) आर्थिक कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त अनुदान	1700.00
कुल	4000.00

(स्रोत :—नया 20-सूत्री कार्यक्रम (1982-83) राजस्थान)

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का इस प्रकार से क्रियान्वयन करने के निर्देश जिलाधीश को दिए गए थे जिससे कि जिले में पूर्ण रूप से बंधक पद्धति 1982-83 में समाप्त हो जानी चाहिए थी।

आर्थिक सहायता :—आर्थिक सहायता कृषि कार्य हेतु ऐसे श्रमिकों को जिनके पास नाममात्र भूमि है तथा जिनके पास भूमि नहीं है उनको दुधारू पशु भेड़, बकरी, बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी मुर्गीपालन, मत्स्य-पालन आदि के लिए तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग लगाने के लिए दी जाती है।

बंधुआ मुक्ति एवं पुनर्वास योजना :

वर्ष 1976 में बंधक मजदूर मुक्ति कानून बन जाने के फलस्वरूप बंधक श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया जिससे राजस्थान के सभी जिलों में कुल 6036 श्रमिक बंधक पाए गए और उन्हें शिनाख्त कराया गया। इनमें से 4178 श्रमिक अनुसूचित जाति व 1249 अनुसूचित जनजाति व शेष 609 अन्य वर्ग के थे।

समीक्षा :

अब बंधुआ मजदूर रखना कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि यह समाज पर एक गहरा कलंक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने का अधिकार होने के कारण ही, बंधक मजदूरों को ग्रामीण जमींदारों या साहूकारों से मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास दिलाने का कार्य 1976 से ही सरकार ने अपने हाथ में लिया और इसके लिए

अब बंधुआ मजदूर रखना कानूनी अपराध ही नहीं है, बल्कि यह समाज पर एक गहरा कलंक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का अधिकार होने के कारण ही, बंधक मजदूरों को ग्रामीण जमींदारों या साहूकारों से मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास दिलाने का कार्य 1976 से ही सरकार ने अपने हाथ में लिया और इसके लिए कानून का निर्माण कर इसे गैर कानूनी घोषित करना तथा 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में इसे शामिल करना प्रभावशाली कदम कहा जा सकता है।

जिलेवार बंधक श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

क्र० सं०	जिला	1975–77	1981–82	1982–83	1983–84	कुल सं०
1.	कोटा	3895	—	—	—	3895
2.	बांसवाड़ा	303	—	—	—	303
3.	बूंदी	332	—	—	—	332
4.	भीलवाड़ा	266	—	1	—	267
5.	चित्तौड़गढ़	270	—	1	79	350
6.	डूंगरपुर	158	—	—	—	158
7.	झालावाड़	78	36	58	—	172
8.	अन्य	698	—	66	1	765
	कुल	6000	36	126	80	6242

(स्रोत :—विशिष्ट योजना संगठन, राजस्थान सरकार)

(एस० एस० ओ०)

राजस्थान में पुनर्वासित बंधक श्रमिकों की संख्या एवं व्यय राशि :—

वर्ष	पुनर्वासित बंधक श्रमिकों की सं०	व्यय (लाख रुपयों में)
1977–78	4266	अप्राप्य
1978–79	700	—
1979–80	700	71
1980–81	344	—
1981–82	26	1.04
1982–83	200	अप्राप्य

(स्रोत :—नया 20-सूत्री कार्यक्रम 1982–83, राजस्थान)

कानून का निर्माण कर इसे गैर-कानूनी घोषित करना तथा 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में इसे शामिल करना प्रभावशाली कदम कहा जा सकता है।

सरकार इस संदर्भ में समय-समय पर सर्वेक्षण कराती है तथा बंधुआ मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त कराकर पुनर्वास कराने का प्रयत्न करती है। किन्तु सरकार के ये कार्य बहुत कुछ कागजों तक ही सीमित हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी यदि व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए तो अनेक बन्धक मजदूर राज्य में पाए जा सकते हैं। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि सम्पूर्ण देश में अभी भी बंधक श्रमिकों की संख्या 32.17 लाख से अधिक है। (स्रोत :—इकनोमिक टाइम्स, 13 जून, 1984)

उदाहरण के लिए अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार ज्ञात हुआ है कि बूंदी जिले में बरड़ क्षेत्र की पत्थर की खानों से पट्टियां निकालने का कार्य करने वाले करीब चार हजार मजदूर अभी भी गुलामी-भरी जिंदगी जी रहे हैं। यहां ठेकेदार प्रत्येक को दो हजार से पंद्रह हजार रुपये तक की अग्रिम धन राशि दे देता है और इनसे परिवार-सहित गुलामों की तरह कार्य करवाया जाता है। यदि कोई मजदूर ठेकेदार के पास से दूसरी जगह काम करने चला जाता है तो उसको ढूंढ़कर पिटाई की जाती है और उसे पुनः पुरानी खान पर ही काम करने के लिए विवश किया जाता है। सर्वेक्षण पर मजदूरों ने बताया कि कई ठेकेदारों ने उनके नाम से पत्थर की खानें ले रखी हैं, जिनसे ठेकेदार एक हजार से बारह सौ रुपये प्रतिदिन कमाते हैं और मजदूर को मात्र कुछ रुपये की मजदूरी दी जाती है। यही नहीं, राजकीय बकाया भी इन मजदूरों के नाम ही चलता है जबकि खानों का पूरा मुनाफा ठेकेदार लोग ही उठाते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बंधुआ श्रमिक मुक्ति कार्यक्रम सैद्धांतिक रूप से अधिक प्रचारित है लेकिन इनमें व्यावहारिकता प्रायः कम होती है। किन्तु इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के जिम्मेदार ये स्वयं मजदूर भी हैं, जो अपनी सारी कमाई शराब पीने व जुआ खेलने में ही लगा देते हैं। इसी प्रकार इनमें कुछ सामाजिक कुप्रथाएं भी होती हैं जिनके विवशता के कारण अति निर्धन श्रमिक भी उत्सवों जैसे विवाह,

मृत्यु, मुण्डन आदि अवसरों पर अत्यधिक व्यय कर देते हैं और इनके लिए वे जमींदार से ऋण लेते रहते हैं तथा इन ऋणों के चुकाने में असमर्थ होने के कारण ये श्रमिक जिंदगी-भर बंधक मजदूर बनकर कार्य करने को बाध्य होते हैं।

यद्यपि सरकार ने 1976 में बंधक श्रम प्रणाली (उन्मूलन) कानून बनाकर उसके अधीन सभी बन्धक मजदूरों को स्वतन्त्र कराने का प्रयास किया है लेकिन सरकार इस कार्य में अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है क्योंकि सरकर के समक्ष अनेक समस्याएं आती रही हैं।

जन-प्रतिनिधियों से बंधुआ मजदूरों का पता लगाने में सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि ये प्रतिनिधि जमींदारों व साहूकारों से मिले हुए होने के कारण उनका पक्ष ही लेते हैं तथा सरकार को बंधुआ श्रमिक सम्बन्धी गलत सूचनाएं देते हैं, जिससे व्यापक सर्वेक्षण का अभाव रहता है और स्वयं बंधुआ मजदूर भी साहूकारों व जमींदारों के अनुचित व्यवहार के भय के कारण सरकार को अपनी सही स्थिति बताने के लिए आगे नहीं आ पाते हैं।

जन–अतिनिधियों से बंधुआ मजदूरों का पता लगाने में सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि ये प्रतिनिधि जमींदारों व साहूकारों से मिले हुए होने के कारण उनका पक्ष ही लेते हैं तथा सरकार को बंधुआ श्रमिक संबंधी गलत सूचना ही देते हैं, जिससे व्यापक सर्वेक्षण का अभाव रहता है और स्वयं बंधुआ मजदूर की साहूकारों व जमींदारों के अनुचित व्यवहार के भय के कारण सरकार को अपनी सही स्थिति बताने के लिए आगे नहीं आ पाते हैं।

मध्यस्थों द्वारा भी सरकार को गलत सूचनाएं दी जाती हैं। अतः सरकार को इस संदर्भ में केवल जिलाधीश को निर्देश देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसमें जन-सहयोग व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक है क्योंकि इनके सहयोग के बिना बंधुआ मजदूरों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए विज्ञापन द्वारा भी जनता को जानकारी कराई जानी चाहिए। इस प्रकार जन-प्रतिनिधियों पर निर्भर न रहकर पर्याप्त जन-सहयोग प्राप्ति के प्रयास चाहिए अन्यथा, यह कार्य केवल कागजों में ही पूरा होगा, व्यवहार में नहीं। □

रिसर्च स्कॉलर,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

उर्लम की शुष्क भूमि में हरियाली

उर्लम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का शुष्क भूमि वाला एक ऐसा गांव है जहां खेती करके फसल उगाना एक स्वपन सा ही था। फिर भी किसान इसी आशा में मेहनत करते रहे कि कभी न कभी तो उनके दिन फिरेंगे।

पोलूमुरु सत्यनारायण इस प्रकार प्रतीक्षा करते-करते आखिरकार तंग आ गया। उसने अपने पुरखों से विरासत में मिली कृषि भूमि को इंद्रदेव की कृपा के भरोसे छोड़ने की बजाय एक कुआं खोद कर उसे हरा-भरा करने की योजना बनाई।

किन्तु समस्या यह थी कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। कृषि विभाग के सुझाव पर उसने श्री विशाखा ग्रामीण बैंक में आवेदन किया। उसके बाद मामले की जांच करने के उपरांत बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे कुआं खोदने के लिए 9,000 रुपये का ऋण प्रदान किया। ऋण मिलते ही उसने कार्य शुरु करा दिया। 32 फुट की गहराई पर पानी मिल गया और जैसे ही यह ऊपर आना शुरु हुआ सत्यनारायण की सभी समस्याएं और चिंताएं मानों धरती के गर्भ में समा गईं।

जल की भरपूर उपलब्धता के साथ ही उसी भूमि में से वर्ष में तीन–तीन फसलें प्राप्त होने लगीं जिसमें से एक फसल भी कभी-कभार ही मिल पाती थी। उसकी आय कई गुना बढ़कर लगभग 15,000 रु० प्रतिवर्ष हो गई।

अभी भी उसके सम्मुख एक समस्या थी। उसे इस कुएं से आवश्यकता से अधिक पानी प्राप्त होता था। उसने अंदाजा लगाया कि इस फालतू पानी से 42 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

सत्यनारायण के लिए तो यह ऐसे हुआ जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अपने उन पड़ोसियों को इस फालतू पानी को बेचने का निश्चय किया जो अपने सूखे खेतों में निराश बैठे रहते थे। इससे गांव वालों की भी सहायता हो गई और सत्यनारायण को आर्थिक लाभ भी होने लगा। इस अतिरिक्त जल के विक्रय से उसे प्रति वर्ष कुएं से कुछ हजार अतिरिक्त रुपयों की आमदनी होने लगी।

उर्लम ग्राम अब हरा-भरा हो गया है। गांव में आई यह खुशहाली इसमें रहने वाले लोगों के प्रसन्न चेहरों पर साफ दिखाई देती है। □

सहकारिता से क्या सम्भव नहीं

अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार

बीस साल पहले यासीन मुहम्मद डेढ़ एकड़ पैतृक जमीन में एक भागीदार था। काशीनाथपुर-बलरामपुर गांव का यह निवासी है। यह गांव पूर्वी बंगाल के कुमिल्ला से कुछ परे है।

यासीन मुहम्मद ने अपने गांव के ही पास चलती सड़क पर चाय की दुकान लगाई, दुकान चल निकली। चाय की आय से दो छोटी गाड़ियां खरीदीं। इनको किराये पर चलाने लगा। एक दिन इसकी चाय की दुकान पर एक सेवा निवृत्त आई० सी० एस० अफसर आया। यह थे भूतपूर्व डाइरेक्टर ग्राम विकास अख्तर हमीद खां। यासीन को एक विचार दिया। काशीनाथपुर–बलरामपुर गांव के रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समिति हरेक रिक्शा वाले से प्रति सप्ताह दस पैसे सदस्य शुल्क लेकर बनाओ।

यासीन मुहम्मद के मन में यह बात जम गई। लोगों का विश्वास प्राप्त करना सरल न था। इससे पहले भी दो प्रयत्न हुए पर चन्दे की रकम में गोलमाल होने के कारण आगे नहीं बढ़े। यासीन को अख्तर ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा था—कार्लाइल का कहना है प्रत्येक बड़ा काम प्रारम्भ में असंभव प्रतीत होता है। अतः हिम्मत न हार। यासीन काम में जुट गया। पहले दिन 60 पैसे जमा हुए उसके आधार पर सहकारी समिति की नींव धरी गई।

आज इस सहकारी समिति के पास 8 लाख रु० बैंक में हैं। इसके पास 26 रिक्शा हैं। इसके 126 सदस्यों के पास अपने वाहन हैं। इसके अपने ईंटों के दो भट्टे हैं। समिति एक ट्रक की मालिक है। यही नहीं इसके पास अपने तीन ट्रेक्टर हैं। एक धान कूटने की मशीन है। तीन नलकूप हैं। समिति एक प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल चलाती है।

गांव की गलियों में ईंटों के खड़ंजे हैं। गांव की सड़क के दोनों ओर नारियल के वृक्ष लगे हैं। समिति का अपना दफ्तर है। अपना सभा भवन है। इन दोनों में फोन है, बिजली के पंखे हैं। इसके अपने 22 वेतनभोगी कर्मचारी हैं। काशीनाथपुर–बलरामपुर गांव का कोई व्यक्ति-नर-नारी, तरुण बेकार नहीं है।

यासीन मामूली पढ़ा-लिखा है। पर वह आज बंगलादेश का एक विशेषज्ञ माना जाता है। ढाका नियोजन कमीशन में परामर्श देने के लिए आमन्त्रित करता है। काशीनाथपुर–बलरामपुर गांव का अनुभव और यासीन मुहम्मद का कार्य इस बात का प्रमाण है कि दस साल के भीतर-भीतर देश से बेकारी दूर हो सकती है यदि निष्ठा से और विश्वास से काम किया जाए। निष्ठा के बल पर एक आदर्श सहकारी समिति क्या नहीं कर सकती। □

इतिहास सदन
ए-239 पंडारा रोड
नई दिल्ली

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गांवों में बिजली

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं में बिजली प्रमुख है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम देश की एक राष्ट्रीय संस्था है जो गांव की स्मृति के लिए यह बुनियादी सुविधा जुटाकर उसके बहुमुखी विकास का पथ प्रशस्त करती है। इस निगम की स्थापना 1969 में हुई थी। निगम बिजली बोर्डों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और राज्य सरकारों को गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता देता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जिन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है उनकी रूपरेखा ऐसी बनाई जाती है कि वे सम्बन्धित क्षेत्र के विकास में सहायक हों और स्थानीय रूप से उपलब्ध सभी संसाधनों का उनके द्वारा अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके। इनके माध्यम से लघु सिंचाई परियोजनाओं और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर खास तौर से जोर दिया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं अन्य विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में बनाई जाती हैं ताकि वे आर्थिक सामाजिक विकास को द्रुत गति देने में सहायक हों।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश के लिए भी अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इस प्रदेश की 145 परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 73 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता निगम मंजूर कर चुका है। 1983–84 में निगम ने हिमाचल की 28 विद्युतीकरण परियोजनाओं को स्वीकृत किया और उनके लिए 12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत

इन परियोजनाओं में राज्य के बिलासपुर, सिरमौर, मन्डी, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और कुल्लू जिलों के बचे हुए गांवों को बिजली पहुंचाई जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गांवों में बिजली पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई है। राज्य के कुल 16,916 गांवों में से 12,635 गांवों का इस निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में प्रावधान है। 30 अप्रैल 1984 तक राज्य के 81 प्रतिशत गांवों में बिजली दी जा चुकी है।

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हिमाचल प्रदेश के 5060 गांवों को बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम है जिसमें से हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड ने अप्रैल 1984 तक 4801 गांवों में बिजली पहुंचा दी है।

राज्य में समाज के कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों के विद्युतीकरण पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके लिए निगम ने 13 विशेष परियोजनाएं मंजूर की हैं जिनके जरिए राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुतायत वाले गांवों को बिजली दी जा रही है। राज्य में जनजातीय क्षेत्र में कुल 485 गांव हैं जिनमें से 287 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

हिमाचल राज्य में वर्ष 1981 की जनगणना के मुताबिक 1,96,973 हरिजन घर हैं जिनमें से वर्ष 1981 में एक परियोजना के अन्तर्गत 27,000 घरों को बिजली देने का प्रावधान था इसमें से 19,059 हरिजन घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। वर्ष 1984-85 में इस योजना के अन्तर्गत एक हजार हरिजन घरों को बिजली देने का लक्ष्य है। इसके लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान है।

चालू वर्ष के दौरान राज्य के 950 गांवों को बिजली देने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में विद्युतीकरण का काम निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से बहुत उत्साह से चल रहा है। वह दिन दूर नहीं जबकि जोरदार प्रयत्नों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के सभी गांव बिजली से जगमगाने लगें और राज्य उन गिने चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां सभी गांवों में बिजली है। □

निर्माण और आवास मंत्रालय के तहत

बीस सूत्री कार्यक्रम की अच्छी प्रगति

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार इस मंत्रालय को सौंपे गए 20 सूत्री कार्यक्रम के तीन सूत्रों की प्रगति बहुत ही सन्तोषजनक रही है। ये तीन सूत्र हैं—सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल की सप्लाई, ग्रामीण परिवारों को निर्माण सहायता सहित आवास स्थलों का आबंटन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घरों सहित गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार।

छठी पंचवर्षीय योजना में जल सप्लाई की योजना के अन्तर्गत 2 लाख 31 हजार गांवों को पानी सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से एक लाख 52 हजार गांवों को योजना के प्रथम चार वर्षों में पानी उपलब्ध कराया गया है। चालू वर्ष के 41,859 गांवों के लक्ष्य में से जून तक 5,943 गांवों को पहले ही पानी उपलब्ध करा दिया गया है। चालू वर्ष की पहली तिमाही का निष्पादन बहुत अच्छा रहा है।

छठी योजना में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों और दस्तकारों के 68 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 43,98,990 आवास स्थलों का आबंटन किया गया है। चालू वर्ष में जून तक 7,97,856 परिवारों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 1,08,081 परिवारों को आवास स्थलों का आंवटन किया गया है और इस स्थिति को अच्छा बताया गया है।

जहां तक निर्माण सहायता का प्रश्न है, छठी योजना में 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विपरीत योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 14 लाख आठ हजार परिवारों को निर्माण सहायता दी जा चुकी है। चालू वर्ष के दौरान जून तक 62,482 परिवारों को सहायता दी गई है।

छठी योजना में गन्दी बस्तियों में रहने वाले एक करोड़ लोगों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति लागत 150 रुपये निर्धारित की गई थी और 1984 से इसमें संशोधन कर इसे 250 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत छठी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 68 लाख 7 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया। चालू वर्षों के दौरान, जून तक गन्दी बस्तियों में रहने वाले 18 लाख 29 हजार लोगों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले चार लाख 41 हजार लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। चालू वर्ष की पहली तिमाही के इस निष्पादन को काफी अच्छा कहा जा सकता है।

जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घरों का सम्बन्ध है छठी योजना अवधि में चार करोड़ 85 लाख रु० की लागत से 16 लाख 52 हजार आवासीय इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 6 लाख 49 हजार आवासों का निर्माण किया गया है। चालू वर्ष के दौरान जून तक एक लाख 68 हजार आवासीय इकाइयों के लक्ष्य के विपरीत 15,689 इकाइयों का निर्माण किया गया है।

खुशहाली की डगर पर बढ़ता गांव गुड़ली

अशोक कुमार यादव

उदयपुर जिले की आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य गिर्वा पंचायत समिति के गुड़ली गांव से निकलने वाली सड़क उदयपुर और लसाड़िया तहसील मुख्यालय को जोड़ती है। इस गांव के भैंरुलाल ने बताया कि पहले वह 10–12 व्यक्तियों के संयुक्त परिवार के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में गुजर-बसर कर रहा था। नया मकान बनाने के लिए उसे तीन हजार रुपये का कर्जा बैंक से तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत परिश्रम के बतौर एक हजार रुपये की सहायता मिली। मकान अच्छा बन जाए इसलिए अपनी जेब से भी उसने दो हजार रुपये लगाए और साढ़े चार महीने कार्य भी किया।

खेमा धीमी आवाज में बोला, "बाबूजी, हमारे परिवार में हम चार भाई हैं। पहले हम सभी एक छोटी सी झोंपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे थे।" दीन हीन स्थिति वाला खेमा कह रहा था, "बाबूजी, एक साथ रहने में बहुत दिक्कत होती थी। सरकार ने अब मेरा घर भली-भांति बसा दिया है।" इसने भैंरुलाल की तरह जेब से पैसा लगाया और मकान निर्माण के लिए मेहनत की। मकान निर्माण के लिए कर्ज व सहायता मिली तो उसने अपना मकान बना लिया। वह अब अपना मकान पाकर खुश है।

तीन हजार 200 जनसंख्या वाले इस गुड़ली गांव में कुल मिलाकर करीब 650 परिवार रहते हैं जिनमें से 225 जनजाति व 150 अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के हैं। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक 45 परिवार मेघवाल (चमार) जाति के हैं। ग्राम पंचायत ने नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे पहले बीड़ा उठाया मेघवाल जाति के परिवारों को उठाने का। करीब 5 माह पूर्व इनमें से ऐसे 27 गरीब परिवारों को सबसे पहले "गरीब को छप्पर" कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड निःशुल्क दिए गए तथा जमीन के पट्टे वितरित कर उन्हें जमीन का मालिक बनाया गया। आवसीय भू-खण्ड तो मिल गए लेकिन आगे बात आयी इनके मकानों के निर्माण की। ग्राम पंचायत ने इस काम के लिए राजस्थान बैंक की बम्बोरा शाखा को राजी कर लिया जिसने 25 मेघवाल परिवारों को प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये का ऋण दिया और मकानों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया। यही नहीं पंचायत ने प्रत्येक परिवार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत एक-एक हजार रुपये की सहायता परिश्रम के बदले में उपलब्ध कराई। परिणामस्वरूप इन बेघर गरीब 25 परिवारों के अपने मकान बनकर तैयार हो गए हैं। "महात्मा गांधी कालोनी' के नाम से बसाई गई इस नवनिर्मित बस्ती में ये परिवार अपने स्वयं के मकानों में रहने लगेंगे।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष 6 मेघवाल परिवारों को अपने चर्म उद्योग को बढ़ाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने प्रत्येक परिवार को सोलह सौ रुपये की ऋण सहायता भी सुलभ कराई है, इस ऋण पर आधी धन राशि अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की गई है।

महात्मा गांधी कालोनी के पश्चात एक टेकरी पर मगननाथ जोगी का घर है। हाथ करघा पर उसकी पत्नी सुन्दर कार्य कर रही है। पूछने पर पता लगा मगननाथ आज बाहर गया है। सुन्दर ने बताया उन्हें यह हैण्डलूम 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने 3 हजार 500 रुपये के कर्जे पर दिया है। उन्हें 'गरीब को छप्पर' कार्यक्रम के तहत एक आवासीय भूखण्ड भी मिला, साथ ही राजकीय भवन निर्माण (अनुदान) योजना के तहत 750 रुपये की अनुदान सहायता भी मिली और 1500 रुपये अपनी जेब से लगाकर अपना मकान बना लिया। सुन्दर ने बताया कि हैण्डलूम से इतना कमा लेते हैं कि उनके परिवार का पालन पोषण हो जाए। हैण्डलूम पर मिले कर्ज में से उन्होंने पन्द्रह सौ रुपये का कर्जा भी चुका दिया है। सुन्दर ने बताया कि रहने के लिए घर और आजीविका के लिए लूम मिल गया तो हमने पुराना भीख मांगकर खाने वाला खानाबदोशी धन्धा त्याग दिया है। स्वाभिमान से जीना सीख लिया है।

पूरे गुड़ली गांव में गत वित्तीय वर्ष में 5 हैण्डलूम स्थापित किए गए हैं जिन पर 20 गरीब परिवार कार्य कर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं।

गुड़ली गांव में 20-सूत्री कार्यक्रम से 16 वर्षीय चन्द्रप्रकाश गुरू के जीवन में खुशहाली आयी है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जब वह आठवीं

कक्षा से आगे नहीं पढ़ सका तो एक वर्ष पूर्व उसने गांव में ही पंचायत द्वारा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत संचालित सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र में 6 माह का सिलाई का प्रशिक्षण ले लिया। चन्द्रप्रकाश से पूछा गया कि उसने पढ़ाई क्यों नहीं की। उसने बताया कि धन्धा सीख गया तो मुझे यह रोजगार मिल गया। पेंट, बुशर्ट, हाफपेन्ट, ब्लाउज, चड्डी, बनियान, कमीज, पेटीकोट आदि बना लेता हूं तथा तीन सौ रुपये प्रतिमाह कमा रहा हूं। अब पढ़ाई की क्या जरूरत इसी धन्धे को आगे बढ़ाउंगा। उसने बताया कि उसने अपने इस धन्धे से 800 रुपये की बचत कर बैंक में भी जमा कराई है।

उल्लेखनीय है कि गुड़ली ग्राम पंचायत उदयपुर जिले में नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में गुणात्मक एवं संख्यात्मक उपलब्धियों की दृष्टि से अन्य ग्राम पंचायतों में सबसे अग्रणी है। पिछले वर्ष ग्राम पंचायत में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से 29 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया गया है जबकि ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत 8 महिलाओं सहित कुल दस व्यक्तियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाया गया। "गरीब को छप्पर" सूत्र में 45 गरीब व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड वितरित किए गए। इनमें 27 व्यक्ति अनुसूचित जाति व 5 जनजाति के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। चार जोगियों के मकान राजकीय भवन निर्माण (अनुदान) योजना के तहत् प्रत्येक को 750 रुपये की अनुदान सहायता व 25 को बैंक से भवन निर्माण के लिए ऋण सहायता दिलवाकर इनके मकान निर्मित कराए गए हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से 5 गोबर गैस संयंत्र स्थापित कराए गए है जिनमें से दो ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। तीन हजार वृक्ष लगाए गए जिनमें से आधे से अधिक जीवित हैं। भूसंरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक एनिकट बनाया जा रहा है व चारागाह विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 555 बीघा भूमि अधिगृहित कर उसमें से ग्राम पंचायत के लोगों को घास दी जा रही है।

गुड़ली में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की रेशम कीट पालन परियोजना में भी कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत 25 आदिवासी महिलाओं से शहतूत की खेती कराके रेशमकीट पाले जाएंगे व उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेशम का उत्पादन कराया जाएगा।

गुड़ली गांव में शिक्षा सुविधा की दृष्टि से एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सा के लिए आयुर्वेद औषधालय, पशु चिकित्सालय, पेयजल सुविधा की दृष्टि से यहां ग्रामीण पेयजल योजना कार्यरत है तथा गांव में नलों के 75 कनेक्शन हैं। यह गांव सड़क मार्ग से सीधा जिला मुख्यालय से जुड़ा है वहीं गांव में स्ट्रीट लाईट की सुविधा है व यहां ग्राम पंचायत भवन एवं ग्राम सेवक भवन भी हैं।

ग्राम पंचायत की अब गांव में सड़कों को पक्की कराने, नालियां निर्माण तथा लघु उद्योग की दृष्टि से विकसित करने की योजना है वहीं नव-निर्मित महात्मा गांधी कालोनी में पेयजल, बिजली तथा अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। सचमुच गुड़ली गुड़ के समान मीठा यानी विकास में अग्रणी "आदर्श" गांव है। □

जनसम्पर्क अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
सूरज पोल,
उदयपुर-313001

बीस सूत्री कार्यक्रम की कुछ शानदार उपलब्धियां

कर्नाटक ने वर्तमान योजना वर्ष के पहले दो महीनों में समस्याग्रस्त गांवों को पीने का पानी मुहैया कराने का अपना वार्षिक लक्ष्य पार कर लिया है। असम और बिहार ने गन्दी बस्तियों के लोगों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में अच्छा काम किया है और समन्वित बाल विकास योजना खण्डों को स्वीकृति देने से सम्बन्धित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। विभिन्न राज्यों से बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के बारे में योजना आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से इन उपलब्धियों की जानकारी मिली है।

कर्नाटक ने गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के अपने वार्षिक लक्ष्य से नौ गुना अधिक उपलब्धि हासिल की है। कर्नाटक ने 95 गांवों में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 666 गांवों में पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई हैं और इस प्रकार इस इस क्षेत्र में 971.6 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। चार राज्यों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार की भी इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी उपलब्धि रही है। इस अवधि में कुल 5,032 गांवों में पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई गई।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को सहायता पहुंचाने में 50.4 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर बिहार अन्य राज्यों से आगे रहा। नौ अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया। मई माह के दौरान गन्दी बस्तियों के कुल

दो लाख तीस हजार परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। बिहार में गन्दी बस्तियों के 20,000 से अधिक परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई ।

समन्वित बाल विकास योजना खण्डों को स्वीकृति देने के सम्बन्ध में असम और बिहार ने मई में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया । आंध्र प्रदेश ने भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की । अन्य राज्यों ने इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की ।

गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के मई महीने में 1,87,000 परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दो करोड़ 35 लाख श्रम दिवस के बराबर रोजगार के अवसर पैदा किए गए । भूमि-हीनों को 16,200 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि वितरित की गई । इसके अतिरिक्त अप्रैल और मई में 57,000 आवास स्थल वितरित किए गए और 37,000 जरूरत-मन्द परिवारों को निर्माण सहायता दी गई । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 800 मकान दिए गए । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,589 गांवों में बिजली पहुंचाई गई और 33,000 पम्पसेटों को बिजली दी गई। अप्रैल-मई 1984 में लगभग चार करोड़ 88 लाख पौधे लगाए गए और 7,917 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए ।

परिवार कल्याण के क्षेत्र में 2,65,000 नसबन्दी के आप्रेशन किए गए। पिछले माह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 524 उप-केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया। □

विकास प्रेमी "बपावर"

राम स्वरूप जोशी

कोटा जिले की पंचायत समिति सांगोद का ग्राम है बपावर। जहां से निकलने वाली सड़कें अटरू, बारां, खानपुर एवं सांगोद तहसील मुख्यालयों को जोड़ती हैं ।

चार हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम के विकास का बीड़ा उठाया ग्राम पंचायत के पंच एवं युवा सरपंच श्री किशनलाल ने ।

प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनाओं के तहत जहां ग्राम-वासियों की आय के साधन जुटाने में, गरीब व निर्धन को मकान बनाने में सहायता की गई वहीं राष्ट्रीय रोजगार योजना के माध्यम से आवश्यक आधारभूत आवश्यकता के ग्रामीण सामुदायिक विकास के निर्माण कार्य कराए गए तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया ।

ग्राम पंचायत ने आधार भूत आवश्यकताओं की दिशा में गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए पारम्परिक जल स्रोत योजना, जल विभाग के सहयोग से प्रारम्भ की, जिसका संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है । ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 125 घरों को सीधे कुएं से बिना टंकी के तीन हजार मीटर से अधिक पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेयजल योजना के संचालन से ग्राम पंचायत को प्रतिमाह 1800 रु० की आय हो रही है । ग्राम पंचायत ने पेयजल विस्तार के लिए दो हजार फुट पाइप लाइन जल विभाग से प्राप्त कर रखी है जिससे ग्रामीणों को अतिरिक्त कनेक्शन देने की योजना है । इसके लिए पंचायत ने लगभग 25 हजार रुपये व्यय कर एक आंतरिक पम्प की व्यवस्था की है जो अन्य कुएं पर लगाए जाएंगे ।

राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायत ने एक लाख रुपये की लागत से चिकित्सालय भवन तथा 75 हजार रुपये की लागत से कन्या उच्च प्राथमिकशाला भवन का निर्माण कराया है, जिसमें लगभग पचास प्रतिशत राशि जन सहयोगस्वरूप पंचायत की निजी आय से व्यय की है ।

बपावर जो ग्रामीण सड़क का एक मुख्य केन्द्र है, जहां लगभग 50 से अधिक बसों का प्रतिदिन आवागमन रहता है, उसके लिए बस स्टैण्ड की अत्यन्त आवश्यकता थी । ग्राम पंचायत ने प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 71 हजार रु० की स्वीकृति से इसका निर्माण पूर्ण कराया । इस पर जन सहयोग सहित कुल दो लाख 20 हजार रुपये व्यय हुए । अब यह ग्राम एवं यात्रियों को समर्पित किया जा चुका है । इस बस स्टैण्ड के निर्माण से लगभग दस हजार श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध हुआ ।

ग्राम पंचायत ने ग्राम को व्यवस्थित व सुन्दर ढंग से बसाने हेतु बस स्टैण्ड के समीप ही एक नई कालोनी स्व० लाल बहादुर शास्त्री के नाम से बनाने हेतु योजना भी तैयारी है । जिसके तहत 65 भूखण्ड बना गये हैं । इन भूखण्डों के विक्रय से ग्राम पंचायत को लगभग साढ़े पांच लाख रुपये की आय होगी ।

ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों की सुख-सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से लगभग तीन हजार फुट खरन्जा निर्माण कराया है ।

बपावर, जिले एवं राज्य के उन सौभाग्य-शाली, गांवों में से है जहां शिक्षा, चिकित्सा, बैंक, डाक-तार, सड़क यातायात, विद्युत आदि सभी सुविधाओं का लाभ मिला हुआ है । □

जनसम्पर्क अधिकारी,
कोटा

चाय - कितना विष, कितना अमृत

ललन कुमार प्रसाद

आप कितना भी मानसिक अथवा शारीरिक थकान अनुभव करते हों बस एक प्याली चाय से सारी थकान दूर हो जाती है। यह हर देश और हर मौसम का लोकप्रिय पेय है। क्या गरीब, क्या अमीर, चाय प्रत्येक वर्ग के लिए प्रिय पेय है। निर्धन की झोंपड़ी से लेकर धनवान के महल तक, सड़क के किनारे बनी खोखेनुमा दुकान से लेकर पांच सितारा होटल तक—यह अन्तर्राष्ट्रीय पेय हर जगह मौजूद है। आज के युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाय न पीता हो या जिसने चाय न पी हो। आज चाय सबका मनपसन्द पेय बन गया है। सच पूछिए तो पानी के बाद चाय ही एक ऐसा पेय है जो सर्वाधिक प्रचलित है।

चाय का नामकरण

विश्व की विभिन्न भाषाओं में चाय के नाम चीनी भाषा की देन हैं। चाय को चीन में 'चा' कहते थे, फिर उसका नाम 'टा' हुआ। जिस समय चाय अंग्रेजों के सम्पर्क में आयी उन्होंने चीन की 'चा' या 'टा' को 'टी' कर दिया। सम्भवतः चीनी शब्द 'चा' से ही हिन्दी के 'चाय' शब्द का जन्म हुआ है। अन्य भाषाओं के अतिरिक्त रूसी भाषा में भी चाय का नाम चीनी शब्द से ही प्रभावित है।

चाय के वैज्ञानिक पहलू

चाय का वानस्पतिक नाम कैमेलिया साइनेन्सिस है। रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि चाय में कोई ज्यादा पौष्टिक तत्व नहीं है। यह तो एक उत्तेजना देने वाला पेय है। वैसे तो चाय में कई तत्व मौजूद हैं, लेकिन उनमें केवल तीन ही प्रमुख हैं, वे हैं—कैफिन, टैनिन और सुगन्धित तेल। इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन भी हैं। वे हैं—थायमीन, राइबोफ्लोविन, नियासीन, फालिक अम्ल, पैन्टोथैनिक अम्ल, बायोटीन और इनोसिटौल। चाय में लगभग 3 प्रतिशत कैफिन होता है। कैफिन से शरीर में स्फूर्ति और उत्तेजना आती है। कम मात्रा में यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन कैफिन के अधिक उपयोग से अनिद्रा और चिड़चिड़ाहट की शिकायत हो सकती है। यह कैफिन ही है जो मनुष्य को चाय का आदि बनाता है। चाय में 11 से 17 प्रतिशत तक टैनिन होता है। टैनिन से शरीर को शक्ति मिलती है, पर अधिक मात्रा में यह हानिकारक होता है। अधिक मात्रा में लेने से आमाशय के आन्तरिक भाग में टैनिन की तहों के पड़ने के कारण पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके बावजूद भी यदि देर तक उबाली हुई अधिक मात्रा में चाय पीना जारी रखा जाए तो आदमी को गैस्ट्राइटिस हो जाता है जो धीरे-धीरे पैप्टिक अल्सर का कारण बन जाता है।

चाय ऐसे बनाइए

चाय को कभी भी चूल्हे पर नहीं उबालना चाहिए। कारण कि चूल्हे पर उबली चाय में कैफिन तथा टैनिन अधिक मात्रा में घुला होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाय का उचित उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि चाय सही ढंग से बनायी जाए। इसके लिए सर्व प्रथम चीनी मिट्टी की स्वच्छ चायदानी में उबलते हुए पानी को डालें। पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उसमें आवश्यकतानुसार चाय की पत्ती डालें और चम्मच से खूब चलाएं। फिर 3–4 मिनट तक चायदानी का ढक्कन लगाकर छोड़ दें। लीजिए लीकर तैयार हो गया। अब साफ प्याली में छोटी चम्मच से एक-डेढ़ चम्मच चीनी डालें। इसके बाद चाय के तैयार लीकर को उस प्याली में डालें। फिर प्याली में चाय की लीकर को चम्मच से चलाते हुए उसमें जरूरत के मुताबिक दूध डालें। ऐसा करने से दूध की मात्रा पर आपका नियंत्रण रहेगा। यह भी ध्यान रखें कि दूध की मलाई उतारी हुई हो। क्योंकि मलाई वाले दूध से चाय चिपचिपी हो जाती है। लीजिए अब चाय तैयार हो गई। चाय में दूध डालने से चाय की कड़वाहट दूर हो जाती है और चीनी डालने से स्वादिष्ट पेय बन जाती है। यथासंभव कम मीठी चाय पीना ही स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन-भर में 3–4 प्याली चाय पीना ही हितकर है।

शुद्ध चाय का ही इस्तेमाल करें

मिलावटी चाय के सेवन से उसमें मिलाए गए कृत्रिम रंगों एवं सुगन्धित पदार्थों तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का स्वास्थ्य पर बड़ा ही प्रतिकूल असर पड़ता है। फिर भी चाय के व्यवसाय में लगे कुछ लोग मिलावट से धन कमा रहे हैं। चाय-पत्ती में आसानी से मिलने वाला पदार्थ है —लकड़ी का चूरा। इसे रंग कर एवं विशेष खुशबू देकर बड़ी आसानी से चाय में मिला दिया जाता है। अतः चाय खरीदते समय बन्द पैकेट ही खरीदें। पैकेटों में बन्द चाय में मिलावट की संभावना नहीं रहती और साथ ही चाय में पायी जाने वाली खुशबू सही-सलामत बनी रहती है।

पहचान असली नकली को

चाय को ठण्डे पानी में घोलकर आसानी से मिलावट का पता लगाया जा सकता है। मिलावटी चाय का रंग आसानी से ठंडे पानी में घुल जाता है। लेकिन शुद्ध चाय ठंडे पानी में चाहे कितनी भी देर तक पड़ी रहे, पानी रंगहीन ही बना रहता है।

स्फूर्तिदायक चाय मात्र सस्ती, सुलभ और शीघ्र तैयार की जाने वाली पेय ही नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह शराब या किसी अन्य मादक पेय की भांति अल्कोहलयुक्त यानी नशीली नहीं है। □

प्राचीन भारतीय इतिहास
और पुरातत्व विभाग
पटना विश्वविद्यालय
पटना–800005

नया सवेरा

विनय कुमार मालवीय

राकेश उस समय कक्षा आठ में पढ़ रहा था। वह पूरे घर की आशा की किरण था। राकेश के पिता मोहन लाल प्रायः उसकी मां से कहा करते थे—"बस दो-चार साल की देर है। जब राकेश इंटरमीडिएट पास हो जाएगा तो किसी सरकारी दफ्तर में उसकी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद मुझे किसी बात की चिन्ता नहीं रहेगी।"

"हां, यही तो मैं भी सोच रही हूं। राकेश जल्दी से पास हो जाए तो हम लोगों के दिन बदल जाएं।" उत्तर में राकेश की मां कहा करती थी।

मोहन लाल के दो लड़के तथा तीन लड़कियां थीं। राकेश उन सब में बड़ा था। इसलिए पूरे परिवार को उसी से उम्मीद थी। मोहन लाल के पास जीविका का एक मात्र सहारा खेती थी। वह दिन भर खेत में मेहनत करता था। परन्तु फिर भी घर के सभी लोगों के लिए दो समय की रोटी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी।

मोहन लाल के पास खेती के नाम पर केवल दो बीघा जमीन थी। वह भी कभी जाड़े में ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाने के कारण सूख जाती थी। इसलिए हमेशा उसके परिवार में भोजन की समस्या बनी रहती थी।

राकेश ने जब इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उसके घर में सब लोग बड़े खुश हुए क्योंकि उन लोगों को यह भरोसा था कि राकेश को इस परीक्षा के पास करने के बाद नौकरी मिल जाएगी।

राकेश के घर के पास उसके कालेज के एक अध्यापक रहते थे। एक दिन राकेश के पिता ने राकेश से कहा—"तुम कल अपने कालेज के मास्टर से जाकर पूछो कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए?"

दूसरे दिन राकेश अपने अध्यापक से मिला। उन्होंने कहा कि तुम कल शहर जाकर अपना नाम सेवायोजन कार्यालय में लिखा आओ। उसी कार्यालय से लोगों को नौकरी मिलती है।

जब वह सेवायोजन कार्यालय गया तो वहां एक लम्बी लाइन देखकर आश्चर्य में पड़ गया। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि ये लोग भी उसकी तरह अपना नाम वहां लिखाने आए हैं।

शाम को घर लौटने पर उसने बताया कि आफिस में उसके जैसे काफी लोग आए थे। इस पर उसकी बहिन ने पूछा—"क्या सभी लोग इन्टरमीडिएट पास थे?" राकेश ने जवाब दिया — "हां, कुछ तो बी० ए० भी पास थे।"

अब राकेश प्रतिदिन सेवायोजन कार्यालय के पत्र की प्रतीक्षा करता। जब प्रतीक्षा करते हुए एक माह व्यतीत हो गया तो एक दिन शाम को खाना खाते समय उसके पिता ने उससे कहा—"राकेश, आज तक शहर से कोई पत्र नहीं आया, तुम कल आफिस में जाकर पता लगा आओ।"

दूसरे दिन राकेश ने सेवायोजन कार्यालय में जाकर पूछा तो उसे बताया गया कि जब आवश्यकता होगी तो उसके घर पत्र जाएगा। राकेश वहां से लौट आया।

इस प्रकार इंतजार करते हुए एक माह और व्यतीत हो गया। एक दिन जब वह पुनः सेवायोजन कार्यालय गया तो वहां एक लड़के ने उसे बताया कि नौकरी के लिए हिन्दी टाइप सीखना बहुत जरूरी है। बिना टाइप सीखे नौकरी नहीं मिल सकेगी।

घर आने पर उसने यह बात अपने पिताजी से बताई। इस पर उन्होंने उसे शहर जाकर टाइप सीखने के लिए कहा। अब राकेश प्रतिदिन टाइप सीखने शहर जाने लगा। टाइप सीखने के लिए उसको अपने गांव से स्टेशन तक पैदल जाना पड़ता, जो उसके घर से लगभग 5 कि० मी० दूर था। स्टेशन से फिर वह रेलगाड़ी द्वारा शहर जाता और वहां से एक कि० मी० दूर स्थित टाइप सेन्टर तक पैदल जाता। इसी प्रकार शाम को वह घर लौटता। इससे वह बहुत थक जाया करता था। लेकिन वह अपनी इस परेशानी को इस आशा से सह रहा था कि टाइप सीखने पर नौकरी मिल जाएगी।

इस प्रकार टाइप सीखने में छः माह व्यतीत हो गए। टाइप सीखने के बाद उसने उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को दे दी। अब उसे आशा हो गई कि शीघ्र ही उसका नाम किसी कार्यालय में भेजा जाएगा।

राकेश का छोटा भाई प्रायः उससे पूछता—"भैया, तुम्हारी नौकरी कब लगेगी? जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो मुझे नई कमीज जरूर सिलाना।"

"अच्छा, पहले नौकरी लग जाने दो" —राकेश उत्तर देता ।

लेकिन राकेश को नौकरी का इंतजार करते-करते एक वर्ष व्यतीत हो गया । चूंकि राकेश के गांव में कोई डिग्री कालेज नहीं था, इसलिए वह बी० ए० में अपना नाम भी नहीं लिखा सका ।

इसी बीच एक दिन राकेश सेवायोजन कार्यालय गया तो वहां उसे मालूम हुआ कि सरकार आजकल पच्चीस हजार रुपये का ऋण लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए दे रही है ।

वहां उसके एक साथी ने उससे कहा कि वह भी ऋण प्राप्त करने के लिए फार्म भर दे । जब रुपये मिल जाएं तो कोई छोटा उद्योग स्थापित कर ले । नौकरी का इंतजार न करे ।

लेकिन राकेश के सामने समस्या यह थी कि उद्योग के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। फिर उसका गांव भी शहर से काफी दूर था ।

घर आने पर यह बात उसने पिताजी से बतायी । इस पर उसके पिता ने कहा कि तुम अपने स्कूल के मास्टर साहब से इसके बारे में पूछ लो। जैसा वे कहें वैसा तुम करो ।

वह अपने कालेज के अध्यापक के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई, उन्होंने कहा कि तुम ऋण हेतु फार्म भरकर रुपये ले लो। उस रुपये से टाइप की दुकान खोल लेना। वहां गांव के लड़के टाइप सीखने आया करेंगे। यह बात राकेश की समझ में आ गई ।

राकेश ने शहर जाकर फार्म लिया और पच्चीस हजार रुपये के ऋण हेतु आवेदन पत्र जमा कर दिया । कुछ दिन बाद ऋण स्वीकृत हो गया । अब राकेश फिर अपने कालेज के अध्यापक से मिला। उन्होंने राकेश से कहा कि वह पांच हिन्दी के टाइपराइटर खरीद ले और अपने तहसील कार्यालय के पास में टाइप की दुकान खोल ले ।

राकेश ने तहसील कार्यालय के पास एक कमरा किराये पर ले लिया । फिर वह गांव के सब लड़कों से कहने लगा अब वे लोग शहर जाकर टाइप न सीखा करें बल्कि उसकी दुकान पर आकर टाइप सीखा करें । इससे उन्हें शहर आने-जाने में जो परेशानी होती है इससे वे बच जाया करेंगे ।

इस प्रकार धीरे-धीरे गांव के काफी लड़के उसकी दुकान पर टाइप सीखने लगे । राकेश अपनी दुकान पर सुबह आठ बजे पहुंच जाता और रात्रि में लगभग आठ बजे दुकान बंद करके घर वापस आता ।

धीरे-धीरे राकेश ने ऋण ली गई समस्त धनराशि को वापस कर दिया। उसकी हिम्मत के कारण उसके घर की स्थिति बदल गई और अब उसके यहां किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती । □

605 मालवीय नगर,
इलाहाबाद-211003

सम्पादकीय . . . . . [आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश]

खेत बीजने की यदि सही तकनीक अपनायी जाए तो बीज भी कम लगता है और फसल भी अधिक उपजती है, क्योंकि सही जुताई और नमी वाले खेत में अगर उपयुक्त गहराई पर उचित मात्रा में बीज के दाने डाले जाएं तो वे बेहद फुटाव करते हुए उगते हैं और बढ़ते हैं । लेकिन उन्नत सीडड्रिलों और डिबलरों आदि का अभी भी प्रचुरता से प्रयोग नहीं किया जाता । जोत सीमा बन्दी के फलस्वरूप मिली भूमि वाले लघु या सीमांत किसान यदि कृषि की नवीन तकनीक व्यापक रूप से अपनाने के लिए उत्साहित किए जाएं तो वे छोटी सी जोत में कई प्रकार की जिन्स उगा सकते हैं । कई कारोबार चला सकते हैं । चन्द बड़े किसान ही सुधरे उपकरणों का उपयोग करते हैं । यदि सभी करने लगें तो बेहद फायदा मिले ।

गांवों में मुश्किल से ही कोई ऐसा परिवार हो जो दुधारू पशु के बिना अपना बसर कर सके । पशु संवर्धन के कार्यक्रम भी चल रहे हैं । लेकिन गांवों में कितने प्रतिशत लोगों के पास उन्नत नस्सल की दुधारू गायें और भैंसें हैं । हमारे देश में भी दुधारू पशुओं की कई बहुत अच्छी नस्लें हैं । संकर नस्लों के साथ-साथ कई विदेशी नस्लों के दुधारू पशुओं को अपनाया गया है । लेकिन कुछ बड़े-बड़े और सरकारी डेयरी फार्मों को छोड़ गांवों में उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का वांछित संवर्द्धन नहीं हो पाया है । जहां कहीं हुआ भी है वहां उन्नत नस्ल को बनाए रखने के प्रयत्न बहुत कम किए गए हैं । लिहाजा कुछ ब्यातों के बाद आम जन-स्तर पर, किया न किया सब बराबर हो जाता है । पुराना ढर्रा ही रह जाता है । स्वास्थ्य, सफाई, आवास आदि क्षेत्रों में अच्छी तकनीकी को अपनाने और प्राप्त उन्नति को बनाए रखकर उसे और अधिक उन्नत बनाने की लालसा अभी ग्रामीण जनों के मनों में नहीं रच-बस पाई है । इस दिशा में विशेष चिंतन और प्रयास की आवश्यकता है ।

गांव स्तर पर किसी ऐसी व्यवस्था की जरूरत प्रतीत होती है जो गांववासियों के जीवन के हर क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के अपनाने, प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रख कर और उन्नत दिशा में बढ़ने के लिए आवश्यक दशाओं का सुझाव भी दे और कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी कराए तथा सफलता, असफलता संबंधी अनुश्रवण भी उपलब्ध करे । गांव से लेकर गांव सभा, ग्राम पंचायत, गांव अधिकारी तथा पंचायत मंत्री केन्द्र, विकास खण्ड, जिला परिषद, राज्य और केन्द्रीय सभी स्तरों पर सम्बद्ध स्तरीय सफलताओं और असफलताओं का ब्यौरा उपलब्ध हो, ताकि पदाधिकारियों सहित देश का कोई भी नागरिक जब चाहे उपलब्धियों के बारे में अपनी दिलजमी कर सके । इस तरह उस दशा से बाहर आने में सहयोग मिलेगा जिसमें ये ही पता नहीं लगाया जा सकता कि कहां क्या कुछ हो चुका है । इससे इक्का-दुक्का सफलताओं से खुश होने के बजाए सामूहिक चिंतन और चेतना को बढ़ावा मिलेगा तथा भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी तथा कागजों में अंकित उन्नति को जमीन पर भली-भांति देखा जा सकेगा । □

केन्द्र के समाचार

हथकरघा बुनकरों को विशेष सुविधाएं

सरकार हथकरघा बहुल क्षेत्रों में 50,000 बुनकरों के लिए रहने तथा काम करने के स्थान की व्यवस्था करेगी। यह कार्यक्रम वर्ष 1984–85 के बुनकर वर्ष के कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावित 50,000 एककों में से 30,000 एककों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 20,000 एककों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में होगा। प्रत्येक घर में एक कार्य शेड भी बनाया जाएगा। रिहायशी एकक आवास तथा शहरी विकास निगम, ग्रामीण आवास एवं शहरी विकास योजनाओं के अनुरूप होंगे। इन पर 6,000 रु० तथा 12,000 रु० की लागत आएगी। कार्य शेड, एकक की लागत 3,000 रु० होगी। केन्द्र सरकार इन निर्माण कार्यों के लिए 14 करोड़ रुपये का अनुदान देगा। शेष लागत राशि आवास तथा शहरी विकास निगम, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा लाभभोगियों द्वारा दी जाएगी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति

पिछले चार वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्य निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1983–84 में कार्यक्रम के अन्तर्गत 41.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग लाए गए जबकि वर्ष 1980–81 में इस कार्यक्रम के अतर्गत 28.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को लाया गया था। इस तरह योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक इन जातियों के औसतन 36.6 प्रतिशत लोग लाए गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यों में विविधता लाने तथा सहायक एवं अन्य क्षेत्रों में नए कार्य शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 1983–84 में प्राथमिक, सहायक एवं अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की क्रमशः 58.9 प्रतिशत, 13.2 प्रतिशत एवं 27.9 प्रतिशत गतिविधियां शुरू की गई हैं।

महाराष्ट्र में ग्रामीण निर्धनों को सहायता

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में लगभग 48 लाख श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर पैदा किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी स्थायी व्यवस्था करना है जिससे रोजगार ढांचा मजबूत हो तथा ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार आए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने भी इसी अवधि के दौरान 30,900 से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया है। इन लाभान्वित परिवारों में से 7233 अनुसूचित जाति तथा 3850 अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस कार्यक्रम ने इन परिवारों को उत्पादकता आय कार्यक्रम उपलब्ध कराए हैं।

इसी अवधि के दौरान 12,566 अनुसूचित जाति तथा 11,679 अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक सहायता की गई। कुल 1279 गांवों को विभिन्न प्रकार के कुओं, पाइपों आदि के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया गया। 2000 से भी अधिक परिवारों को आवास स्थल आवंटित किए गए तथा 6660 से भी अधिक परिवारों को मकान बनाने में निर्माण सम्बन्धी सहायता प्रदान की गई।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 677 पौधे लगाए गए। 17,000 से भी अधिक पम्पसैटों को बिजली प्रदान की गयी तथा 2910 गोबर गैस संयंत्र तथा 3271 लघु उद्योग इकाइयां स्थापित की गईं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए 200 से अधिक उचित दर की दुकानें खोली गईं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु केन्द्रीय सहायता

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अनुसार, सरकार ने 1978 से जून, 1984 तक 38,171 समितियों को 24 करोड़ 65 लाख रुपये स्वीकृत किए। यह राशि समितियों को गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कच्चा कोयला तथा नियंत्रित मूल्य के कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुएं आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए दी गईं।

इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक 10,000 रुपये की सहायता राशि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और बड़ी बहूद्देश्यीय समितियों को खुदरा दुकान खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बिक्री करने के लिए दी जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए पांच करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

महाराष्ट्र में बीस सूत्री कार्यक्रम

महाराष्ट्र ने वर्ष 1983–84 में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित अपने लक्ष्यों का 97.6 प्रतिशत प्राप्त कर लिया था।

गोबर गैस संयंत्र लगाने के क्षेत्र में प्रगति सबसे शानदार रही। यहां लक्ष्य की प्राप्ति 358.4 प्रतिशत रही।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने, पम्प सैटों को बिजली प्रदान करने, निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने, वानिकी कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण उपायों के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया गया।

गांवों में बिजली पहुंचाने के क्षेत्र में उपलब्धि 92.1 प्रतिशत रही जबकि अतिरिक्त भूमि के आवंटन में उपलब्धि 74.8 प्रतिशत रही।

बच्चों को 'कुपोषण' से बचाइए

रेखा पाण्डेय

हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन चार से पांच लाख तक बच्चे भयंकर कुपोषण के परिणामस्वरूप असमय ही मौत की चिरनिद्रा में सो जाते हैं। इनमें से अधिकांश विटामिन 'ए' की कमी के कारण नेत्रों की ज्योति खो बैठते हैं। आहार में आयोडीन की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अधिकांश बच्चे तथा वयस्क घेंघा (ग्वायटर) रोग से पीड़ित देखे जा रहे हैं। पौष्टिक एवं संतुलित आहार की कमी के कारण आज लगभग 35 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को गर्भपात जैसी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है या उनके मृत बच्चे पैदा होते हैं। यदि ये बच्चे किसी तरह जीवित भी बच पाते हैं, तो वे दुर्बल, अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से अल्प विकसित रहते हैं। बच्चों में अंगों का पर्याप्त एवं सुचारु विकास नहीं हो पाता। वे कद-काठी में ठिगने (छोटे) रह जाते हैं।

यह कहना समीचीन होगा कि हमारे देश में पोषण सम्बन्धी समस्या का एकमात्र तथा व्यापक कारण गरीबी है। अज्ञानता के कारण कई बार लोग ऐसा भोजन करने को मजबूर होते हैं, जो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के बजाय हानि पहुंचाता है। उदाहरण के लिए उ० प्र० के पूर्वी जिलों, बिहार तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण आंचलों में "खेसारी दाल" के खाने का रिवाज है। यह दाल जहरीली और प्राणघातक साबित हो चुकी है। प्रसन्नता की बात है कि अब हमारी राज्य सरकारों ने "खेसारी दाल" के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस दाल में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ (टाक्सिन) को पृथक करने के बाद ही प्रयोग में लाया जा सकेगा।

"नेशनल न्यूट्रीशन मोनिटरिंग ब्यूरो" की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हमारे देश में 40 प्रतिशत परिवारों की दैनिक आय मात्र 1 रु० है। जो भोजन वे करते हैं, उससे न तो ऊर्जा (कैलोरी) की पूर्ति होती है और न प्रोटीन की।

"नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन" द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि—"गांवों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असमय मृत्यु का कारण 'छूत वाले रोग' कह दिया जाता है, पर वास्तव में उसका मुख्य कारण है—कुपोषण। छूत वाले रोग और कुपोषण का पारस्परिक सम्बन्ध सर्वविदित है।"

गरीबी की भयंकर देन है—कुपोषण। जब लगातार कुपोषण के कारण व्यक्ति विशेष के शरीर में कमजोरी आ जाती है तो उसे कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। सीमित साधनों एवं आय वाले रोगियों के लिए अपनी रक्षा कर पाना सम्भव नहीं हो पाता।

पोषण विशेषज्ञों का विचार है कि चार सदस्यों (माता-पिता, 12 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे) के परिवार में सस्ते व संतुलित आहार के लिए प्रतिदिन 12 रुपये होने चाहिएं, किन्तु हमारे देश के अधिकांश परिवारों में इतनी क्रयशक्ति नहीं है। 350 रुपये सिर्फ भोजन पर तभी खर्च किया जा पाना संभव हो सकेगा, जब मासिक आय 800 रुपये से 1200 रुपये के बीच हो। भारत देश में जहां आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है, इस प्रकार का आहार लेना कैसे सम्भव है ?

अपर्याप्त जानकारी

जनसाधारण में पौष्टिकता एवं संतुलित आहार के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। फलस्वरूप जो लोग सक्षम हैं, वे भी इस ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते। पौष्टिक आहार का मतलब मंहगे व जायकेदार आहार से ही नहीं है। सादा भोजन, जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्व दे सके, कहीं ज्यादा गुणकारी और बेहतर होगा।

दुर्भाग्यवश गरीब देशों के लोग अपने बच्चों को प्रायः ऐसा भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते। कारण यह भी है कि ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि अमुक-अमुक सस्ती और आसानी से सुलभ सब्जियों में भी प्रोटीन, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, शर्करा तथा विटामिनें पायी जाती हैं।

समस्या का समाधान

वैसे तो पौष्टिक तथा संतुलित आहार की व्यवस्था कर पाना असंभव नहीं लगता। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा भाग गांवों में रहता है। कृषि ही जीविका का साधन है। ये लोग स्वयं अन्न उत्पादन करने में सक्रिय हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह मौसमी फल शाक-सब्जियों को उगा सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर दालों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जनसामान्य को पोषण के नियमों की जानकारी दी जाए। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश (नियंत्रण) हेतु अधिक प्रभावी एवं स्थायी तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि पोषण सम्बन्धी जानकारी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अशिक्षित कृषकों एवं मजदूरों को दी जाए क्योंकि वे खाने पर कम पीने पर ज्यादा खर्च करते हैं।

कुपोषण मानवता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। कुपोषण से बच्चे तो मरते ही हैं, अनेक बच्चे स्थायी रूप से गम्भीर रोगों की चपेट में आ जाते हैं। स्कूली बच्चों की स्मरणशक्ति कम हो जाती है।

आज के समय में सुख-शान्ति से रहने के लिए आहार में संयम रखने की परम् आवश्यकता है। यह कहां की बुद्धिमानी है कि संदूषित एवं विषाक्त भोजन के प्रयोग करने में हम अपना धन भी बरबाद करें और रोगी बनकर दुःखी भी होते रहें ? □

बी-12, माडल टाउन
बरेली–243005

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

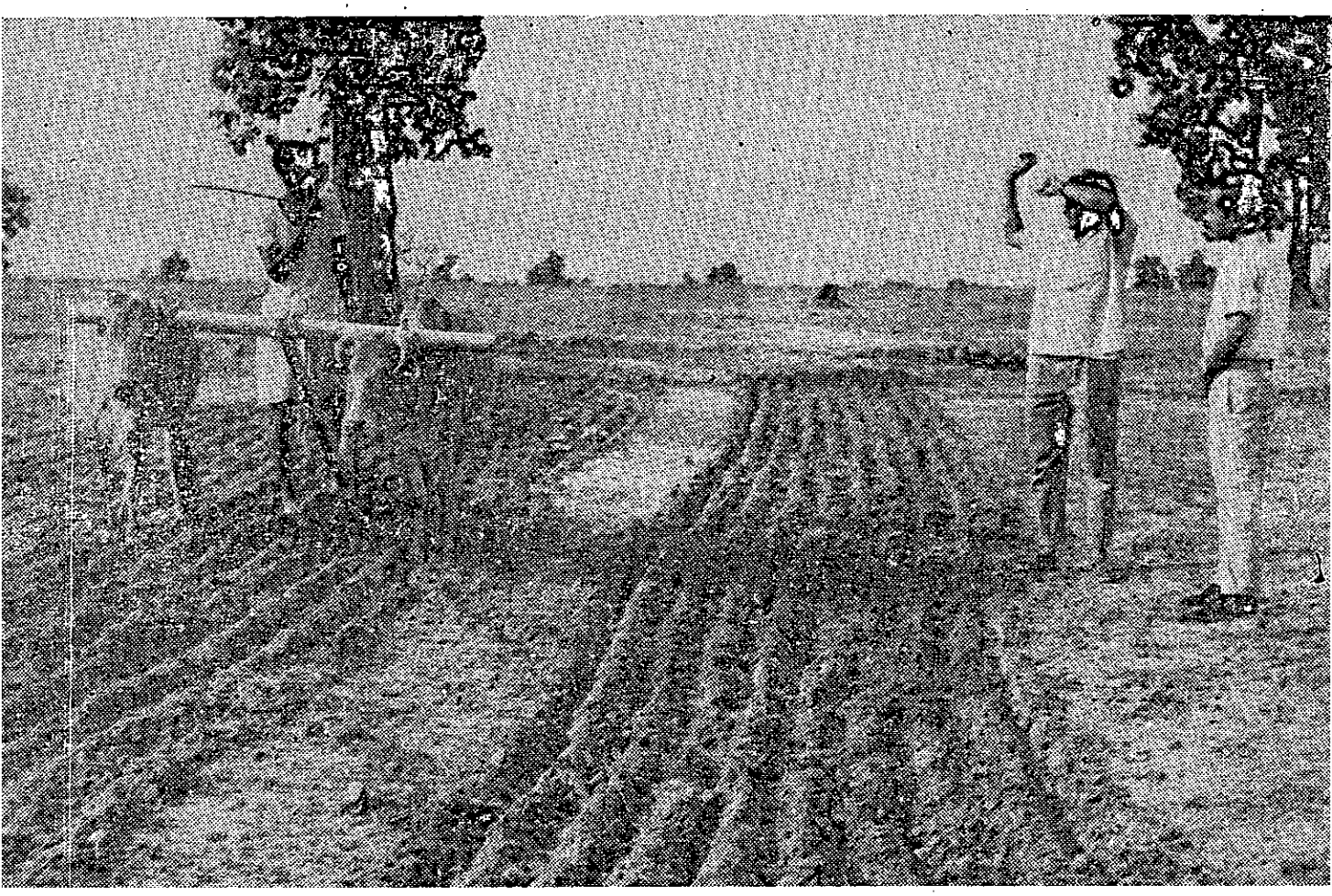

कृषि की उन्नत तकनीक अपनाइए

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा